



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

बिहार सरकार
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय-I		
परिचय		
इस रिपोर्ट के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षिती रूपरेखा	1.2	1
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.3	1
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया (प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा)	1.4	3
निष्पादन/विषयगत लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिक्रिया	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाई	1.6	4
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली	1.7	5
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.8	5
अध्याय-II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पर्यावरण एवं वन विभाग		
बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन	2	7
अध्याय-III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
शिक्षा विभाग		
श्रम उपकर की कटौती नहीं किए जाने के कारण अधिक भुगतान एवं दायित्व का सृजन	3.1	33
श्रम संसाधन विभाग		
अनुदान का अनियमित एवं अनधिकृत वितरण	3.2	34
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
अधिक भुगतान	3.3	35
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
जमानत जमा-राशि और असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली न होना तथा जोखिम एवं लागत राशि की वसूली न होने के कारण अतिरिक्त भार	3.4	37
वित्त विभाग		
अधिभार के भुगतान के कारण परिहार्य अधिक व्यय	3.5	38

विवरण		संदर्भ	
		कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
परिशिष्ट			
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाएँ	1.3	41
1.2	निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं में अनियमितताओं के विभिन्न प्रकार	1.3	42
1.3	मार्च 2017 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा / विषयगत लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति	1.5	43
1.4	राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.8	44
2.1	बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य	2.1	45
2.2	वर्ष 2012-17 के दौरान 12 वन्यजीव अभयारण्यों के आवंटन एवं व्यय	2.8.1	46
	(अ) वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के आवंटन एवं व्यय		
	(ब) पाँच अन्य वन्यजीव अभयारण्यों का आवंटन एवं व्यय		
	(स) पाँच अन्य पक्षी अभयारण्य एवं डॉल्फिन अभयारण्य का आवंटन एवं व्यय		
3.1	वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि के दौरान तीन जिलों द्वारा किए गए वर्ष-वार व्यय और श्रम उपकर की कटौती योग्य राशि	3.1	48
3.2	वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि के दौरान 35 जिलों द्वारा किए गए वर्ष-वार व्यय और श्रम उपकर की कटौती योग्य राशि	3.1	49
3.3	श्रमिकों को वितरित किए गए अनुदान का वर्ष-वार ब्यौरा	3.2	51
3.4	13 प्रमंडलों के जोखिम एवं लागत राशि	3.4	52
3.5	शेष 87 कार्यों की जोखिम एवं लागत राशि	3.4	54

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र सेवाओं के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन में वैसे मामले शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2016-17 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए, परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार अद्यतन कर शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा परिणाम सीमित नमूना-जाँच पर आधारित है। राज्य सरकार को सभी विभागों के कार्यकलाप की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदृश्य मामले मौजूद नहीं हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियाँ और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों का विस्तार हैं के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे सुसंगत हो। इस प्रावधान को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 के नियम 181 द्वारा पुनः विस्तारित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा सत्त्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित आकड़े, सूचना तथा दस्तावेज उसे समय पर उपलब्ध कराए गए हैं, एक तंत्र स्थापित करेगा तथा कार्यान्वित करेगा।

ऐसे स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा के समक्ष अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कई मामले हैं। ये लेखापरीक्षा के प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। यद्यपि इस तरह के मामले प्रत्येक अवसर पर प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए जाते हैं, परंतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई एक समान शीघ्र एवं प्रभावी नहीं है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के लिए पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा (बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा0स्वा0के0) के कार्यकलाप, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के प्रबंधन, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, बिहार में शिक्षा का अधिकार 2009 के कार्यान्वयन और बिहार राज्य में धान की खरीद एवं चावल की आपूर्ति) और पाँच विषयगत लेखापरीक्षा (बिहार राज्य में ई-क्रय प्रणाली का कार्यान्वयन, बिहार में मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन, काराओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित काराओं के कार्यकलाप, मुख्यमंत्री बिहार शताब्दी बालिका पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना तथा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना) का प्रयास किया गया था। हालांकि, बार-बार प्रयासों के बावजूद, 96 में से 59 इकाईयों ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए कुछ अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। आगे, इन निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा के संबंध में जारी 1,367 लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से 131 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए और 465 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के केवल आंशिक उत्तर प्राप्त हुए थे।

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण गंभीर रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के कवायद को परिसीमित करता है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों के जवाबदेही में कमी और धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि को छिपाया जा सकता है। राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के प्रत्येक मामलों को चिन्हित करते हुए, सतर्कता के दृष्टिकोण से संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया जाता है।

यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय—1 एक परिचय है, लेखापरीक्षित रूपरेखा और निरीक्षण प्रारूप प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया, निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा तथा कंडिकाओं पर सरकार और लेखापरीक्षिती इकाईयों की प्रतिक्रिया, पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई, लेखापरीक्षा के कारण हुई वसूली तथा राज्य विधानमण्डल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की स्थिति का विवरण देता है।

अध्याय—2 'बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा है।

अध्याय—3 सरकारी विभागों के लेन-देन के लेखापरीक्षा पर है, उनके क्षेत्र के गठन और स्वामित्व और मितव्ययिता के मानदंडों के पालन में संशाधनों और विफलताओं के प्रबंधन में हुई चूक की घटनाएँ सामने लाती हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।



विहंगावलोकन

वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा, पाँच विषयगत लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रयास किया गया।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (ब) निर्दिष्ट करता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियाँ और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों का विस्तार हैं के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे सुसंगत हो। इस प्रावधान को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 के नियम 181 द्वारा पुनः विस्तारित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा सत्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित आकड़े, सूचना तथा दस्तावेज उसे समय पर उपलब्ध कराए गए हैं, एक तंत्र स्थापित करेगा तथा कार्यान्वित करेगा।

हालांकि बार-बार प्रयासों के बावजूद लेखापरीक्षा दल द्वारा मांगे गए कुछ अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया था और कई मामलों में लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए लेखापरीक्षा ज्ञापनों के जवाब नहीं दिए गए थे। तीन निष्पादन लेखापरीक्षा (मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकलाप तथा बिहार में शिक्षा का अधिकार 2009 का कार्यान्वयन) और एक विषयगत लेखापरीक्षा (बिहार में मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन) के संबंध में 96 में से 59 इकाईयों ने लेखापरीक्षा द्वारा मांग की गई कुछ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण गंभीर रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के कवायद को परिसीमित करता है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों के जवाबदेही में कमी और धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि को छिपाया जा सकता है। राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के प्रत्येक मामलों को चिन्हित करते हुए, सतर्कता के दृष्टिकोण से संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने आग्रह किया जाता है।

पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा एवं पाँच विषयगत लेखापरीक्षा के संबंध में जारी 1,367 लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से, 131 लेखापरीक्षा ज्ञापनों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था तथा 465 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संबंध में केवल आंशिक जवाब प्राप्त हुए थे।

संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजे गए 11 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में, तीन मामलों (पथ निर्माण विभाग) के संबंध में जवाब प्राप्त नहीं हुए थे।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामान्य, सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में बिहार सरकार से संबंधित बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन तथा पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निष्कर्ष शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन

बिहार सरकार ने छः वन्यजीव अभयारण्यों (वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व सहित) और पाँच पक्षी अभयारण्यों (प0अ0), जो कुल मिलाकर 3,378.02 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र में फैला हुआ है, को अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो भागलपुर जिला में सुल्तानगंज से कहलगाँव तक गंगा नदी के लगभग 60 कि0मी0 के विस्तार तक विस्तृत है, को भी बिहार सरकार द्वारा अभयारण्य के रूप में अधिसूचित (अगस्त 1991) किया गया। 12 वन्यजीव अभयारण्यों एवं एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वर्ष 2012–17 के दौरान पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आकलन करने के लिए आयोजित एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न उद्घटित हुआ:

- पर्यावरण एवं वन विभाग ने वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व को छोड़कर, शेष 11 अभयारण्यों में वन्यजीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराया। इन अभयारण्यों में क्षेत्रीय वन प्रमंडल अपने नियमित काम के अलावा सुरक्षा और संरक्षण का प्रबंधन करते हैं।
- भारतीय वन सेवा (आई0एफ0एस0) संवर्ग में 34 प्रतिशत और बिहार वन सेवा (बी0एफ0एस0) संवर्ग में 66 प्रतिशत की कमी देखी गई। सभी अभयारण्य अग्र पंक्ति के कर्मचारियों जैसे वन रेंज पदाधिकारी, वनपाल एवं वन रक्षकों की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे थे। स्वीकृत बल के 80 प्रतिशत की कुल कमी ने प्रत्यक्ष रूप से दिन-प्रतिदिन के संरक्षण उपायों जैसे घास भूमि प्रबंधन, अग्नि रेखा प्रबंधन, निगरानी और पर्यवेक्षण आदि को प्रभावित किया। मार्च 2017 तक वन संरक्षक के अधिकार क्षेत्र जो आदर्श रूप से लगभग 500 हेक्टेयर होनी चाहिए जो कि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के मामले में 4,500 हेक्टेयर हो गया है।
- बिहार सरकार ने पिछले 20 वर्षों के दौरान किसी भी क्षेत्र कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं की थी। अग्र पंक्ति के कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण, विभाग ने आकस्मिक कर्मचारी को काम में लगाया, अधिकांश अप्रशिक्षित ग्रामिणों को खोजी, शिकार विरोधी दल, गश्त आदि कार्य में, यहाँ तक कि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में भी, जिन्होंने सुरक्षा एवं संरक्षण के गुणवत्ता और प्रभावशीलता को प्रभावित किया। सुरक्षा कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण किसी भी अभयारण्य में उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 2015–16 में व्याघ्र शिकार के चार मामले सामने आए थे क्योंकि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व की गश्त और सुरक्षा अपर्याप्त थी और वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन को इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

(कंडिकाएं 2.1, 2.6 और 2.10)

- पर्यावरण और वन विभाग (सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक), 12 अभयारण्यों में से नौ में प्रबंधन योजनाओं को अंतिम रूप देना सुनिश्चित नहीं कर सका, जिससे वर्ष 2012–17 के दौरान अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता निर्गत की गई। प्रबंधन योजनाओं वाले तीन अभयारण्यों को ₹187.64 करोड़ दिए गए थे, जबकि नौ अभयारण्यों, जिनके पास प्रबंधन योजना नहीं थी, को वर्ष 2012–17 के

दौरान सुरक्षा और संरक्षण कार्यों के लिए केवल ₹5.54 करोड़ प्राप्त हुए। आगे, अभयारण्य की वास्तविक आवश्यकता के बजाय भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमाओं के आधार पर सभी अभयारण्यों द्वारा संचालन की वार्षिक योजना तैयार की गई थी।

(कंडिका 2.8)

- वर्ष 2012–17 के दौरान व्याघ्र को छोड़कर, जंगली जानवरों का वार्षिक आकलन किसी भी अभयारण्य में नहीं किया गया था। शिकारी जानवरों के आकलन की अनुपस्थिति ने भोजन और चारा की आवश्यकता का निर्धारण, यहाँ तक कि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में भी नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.9.2)

- वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व का मुख्य क्षेत्र 82 वर्ग कि०मी० में फैले 26 राजस्व गाँवों से घिरा हुआ था, जिसकी आबादी लगभग 24,538 थी। इसी तरह 92 गाँव, दो अभयारण्यों (कैमूर एवं भीमबांध) के मुख्य क्षेत्रों में स्थित थे। विभाग ने अभयारण्यों पर मानवजनित दबाव को कम करने के लिए इन गाँवों को स्थानांतरित करने की कोई योजना तैयार नहीं की थी।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के समय-समय पर दिशा-निर्देशों एवं राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के बावजूद (वर्ष 2015) ट्रेनों की गति सीमा को दिन के दौरान 40 कि०मी० प्रति घंटा और रात के दौरान 25 कि०मी० प्रति घंटा तक सीमित करने के लिए, पर्यावरण और वन विभाग, बिहार सरकार और रेलवे ने इसे सुनिश्चित नहीं किया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2006 से वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व क्षेत्र से गुजरने वाली रेलवे लाईन पर व्याघ्र, गैंडा, मगरमच्छ आदि सहित 63 जंगली जानवरों, जिसमें अकेले वर्ष 2012–17 में 24 जानवरों की मौत हो गई थी।

(कंडिका 2.9.4)

- यद्यपि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य को गंगा के डॉल्फिन की सुरक्षा, वंशवृद्धि एवं विकास के लिए अधिसूचित किया गया था (अगस्त 1991) तथा भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया था (अक्टूबर 2009), प्रबंधन योजना नहीं तैयार करने के कारण विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं कर सका। बिहार सरकार ने ₹43 लाख का आवंटन ज्यादातर डॉल्फिन मित्र के रूप में आकस्मिक कर्मचारी के नियुक्ति के लिए किया। विभाग ने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपनी कार्य योजना वर्ष 2013 के अनुसार भी, कोई कार्य नहीं किया।

(कंडिका 2.12)

अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने गंभीर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमी देखी, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा (पाँच कंडिकाएँ) से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रतिवेदन में दिखलाए गए हैं। प्रमुख अवलोकन नियमों और विनियमों के अनुपालन से संबंधित हैं, स्वामित्व के खिलाफ लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय के मामलों और विफलता/शासन से संबंधित हैं, जो नीचे उल्लिखित हैं:

- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा श्रम उपकर की कटौती नहीं किये जाने के कारण विद्यालय शिक्षा समिति को अधिक भुगतान हुआ और ₹ 82.10 करोड़ दायित्व का सृजन हुआ।

(कंडिका 3.1)

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (भ0अ0स0क0) नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन (नि0से0श0वि0) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भवन निर्माण/मरम्मत तथा उपकरणों/साइकिलों के क्रय के लिए अनियमित रूप से ₹76.47 करोड़ अनुदान के रूप में वितरित किया।

(कंडिका 3.2)

- लोक स्वास्थ्य प्रमडंल, बिहारशरीफ ने संवेदक को ₹8.47 करोड़ का अधिक भुगतान किया क्योंकि बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली 2005 और विश्व बैंक उधारकर्ताओं के दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक मूल्य परिवर्तन अनुच्छेद को अनुबंध में शामिल नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.3)

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जमानत जमा-राशि तथा असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम ₹1.43 करोड़ एवं अपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक अंतर राशि ₹10.05 करोड़ की वसूली करने में असफल रहा।

(कंडिका 3.4)

- वित्त विभाग ने पावर फैक्टर सीमाओं के अतिक्रमण से बचने के लिए कैपेसिटर का अधिष्ठापन न करने के कारण अधिभार के रूप में ₹1.91 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय किया।

(कंडिका 3.5)



अध्याय-I
परिचय

अध्याय-I

परिचय

1.1 इस रिपोर्ट के बारे में

यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों और कार्यकलापों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा बिहार सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के अर्न्तगत विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक विस्तार क्षेत्र जिसमें उस सीमा तक, जहाँ तक एक संगठन, कार्यक्रम या योजना मितव्ययितापूर्वक, दक्षतापूर्वक तथा प्रभावकारितापूर्वक संचालित होती है, का एक स्वतंत्र मूल्यांकन/परीक्षण है। निष्पादन का उचित मानदंडों के विरुद्ध परीक्षण किया जाता है और उन मानदंडों से विचलन के कारणों का विश्लेषण किया जाता है।

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, संपत्तियों और दायित्वों से संबंधित लेन-देन का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन किये जाने को संदर्भित करता है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सार के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह अपेक्षा है कि वह कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निर्देशों के ढांचा निर्माण हेतु सक्षम बनाएगा, जो संस्था के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर रूप से आगे करेगा, इस तरह से अधिक अच्छा शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवा देने में योगदान करेगा।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय शामिल हैं। यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा के व्याख्या के साथ-साथ, विभागों के व्यय एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उन पर की गई कार्रवाई पर सरकार की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय II और III वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा पर विस्तृत निष्कर्षों और अवलोकनों को प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षिती रूपरेखा

राज्य में 44 विभाग हैं, जिनमें से 38 विभाग सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों से संबंधित हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹1,69,351.62 करोड़ के कुल बजट के विरुद्ध, राज्य ने कुल ₹1,26,302.02 करोड़ व्यय किया। जिसमें ₹1,60,679.35 करोड़ के बजट के विरुद्ध कुल ₹1,25,576.74 करोड़ का व्यय सामान्य, सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्रों के तहत 38 विभागों से संबंधित थे।

1.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार लेनदेन की नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण का संचालन तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात चार सप्ताह के अन्दर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ, कार्यालय प्रमुख को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) जारी किया जाता है। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पाये गए महत्वपूर्ण अनियमितताओं का निपटान कार्य-स्थल पर नहीं किये जाने

की स्थिति में, इन्हें निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों, अगले उच्च प्राधिकारियों को प्रतिलिपि के साथ जारी किया जाता है।

जब भी जवाब प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रेतर कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में चिह्नित किए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य के 1,035 आहरण एवं संवितरण अधिकारी और 15 स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार द्वारा संचालित किया गया था।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के कार्यालय द्वारा गंभीर अनियमितताओं को प्रधान सचिव (वित्त) को भेजे गए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के भी ध्यान में लाया गया है।

सितम्बर 2016 तक 38 विभागों से संबंधित 3,116 आहरण एवं संवितरण अधिकारी को जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से उद्घटित हुआ कि 6,638 निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित ₹ 2,14,493.88 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 40,788 कंडिकाएं 31 मार्च 2017 के अंत तक लंबित रहे हैं जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका और अनियमितताओं के प्रकार की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-1.1 और परिशिष्ट-1.2 में क्रमशः वर्णित है।

तालिका 1.1
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रतिशत)	लंबित कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत)	शामिल राशि
1	एक वर्ष से कम	392 (6)	3,071 (8)	21,407.29
2	1 से 3 वर्षों तक	2,736 (41)	18,046 (44)	1,03,767.17
3	3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	759 (11)	4,898 (12)	61,249.95
4	5 वर्षों से अधिक से 8 वर्षों तक	2,751 (42)	14,773 (36)	28,069.47
	कुल	6,638	40,788	2,14,493.88

वर्ष 2013-17 के दौरान जारी (सितम्बर 2016 तक) 3,128 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 21,117 कंडिकाएं जिनकी मूल्य ₹1,25,174.46 करोड़ था, केवल 633 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 4,019 कंडिकाएं जिनका मूल्य ₹35,580.20 करोड़ था, पर विभागों से उत्तर प्राप्त हुआ था।

वर्ष 2016-17 के दौरान, 86 लेखापरीक्षा समिति की बैठके आयोजित की गई जिनमें केवल 229 कंडिकाओं का निपटान किया गया।

विभागीय अधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने में असफल रहें, परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षरण हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मामलों को देखें।

1.4 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया (प्रारूप कंडिकाएं/निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा)

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियाँ कार्यान्वयन तथा चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रणों के गुणवत्ता में महत्वपूर्ण कमियों पर सूचना दी है, जिसका विभागों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्य ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए उचित सिफारिश प्रदान करने पर था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को छः सप्ताह के अन्दर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर उनकी प्रतिक्रिया भेजने की आवश्यकता है। यह विभागों के प्रमुख के व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किए जाने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में ऐसे कंडिकाओं के संभावित समावेश को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में उनकी टिप्पणियाँ शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार से मिलने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और कंडिकाओं को विभागों के प्रमुखों को उनके जवाब प्राप्त करने के लिए भी भेजा गया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के लिए, पाँच प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, पाँच प्रारूप विषयगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और 11 प्रारूप कंडिकाएं संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रसारित किया गया। सभी निष्पादन लेखापरीक्षाओं, विषयगत लेखापरीक्षाओं और आठ प्रारूप कंडिकाओं पर सरकार/विभागों के जवाब प्राप्त हुए हैं।

1.5 निष्पादन/विषयगत लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिक्रिया

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियाँ और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों का विस्तार हैं के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे सुसंगत हो। इस प्रावधान को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 के नियम 181 द्वारा पुनः विस्तारित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा सत्त्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित आकड़े, सूचना तथा दस्तावेज उसे समय पर उपलब्ध कराए गए हैं, एक तंत्र स्थापित करेगा तथा कार्यान्वित करेगा।

ऐसे स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा के समक्ष अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कई मामले हैं। ये लेखापरीक्षा के प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। यद्यपि इस तरह के मामले प्रत्येक अवसर पर प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए जाते हैं, परंतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई एक समान शीघ्र एवं प्रभावी नहीं है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के लिए पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा और पाँच विषयगत लेखापरीक्षा करने का प्रयास किया गया, हालांकि बार-बार प्रयासों के बावजूद लेखापरीक्षा दलों द्वारा मांगे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए थे और कई मामलों में लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के जवाब उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं¹ और एक विषयगत लेखापरीक्षा के संबंध में 96 इकाईयों में से 59 ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए कतिपय अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया, जिसका विवरण परिशिष्ट-1.3 में है।

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण गंभीर रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के कवायद को परिसीमित करता है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों के जवाबदेही में कमी और धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि को छिपाया जा सकता है। राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के प्रत्येक मामलों को चिन्हित करते हुए, सतर्कता के दृष्टिकोण से संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया जाता है।

पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं और पाँच विषयगत लेखापरीक्षा के संबंध में जारी 1,367 लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से, 131 लेखापरीक्षा ज्ञापनों का कोई जवाब प्राप्त नहीं किया गया था तथा 465 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संबंध में केवल आंशिक जवाब प्राप्त किए गए थे जिनका विवरण परिशिष्ट-1.3 में है।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कृत-कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियम के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, चाहे लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जाँच की गई हो या नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का वर्णन प्रस्तुत करने थे।

31 मार्च 2016 की अवधि तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर 30 सितम्बर 2017 तक कृत कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की वस्तुस्थिति तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा0सा0 एवं आ0प्र0) में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय कृत कार्रवाई टिप्पणियां की प्राप्ति के संबंध में स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	30 सितम्बर 2017 तक लंबित (कंडिकाओं की संख्या) कृत कार्रवाई टिप्पणियां	राशि मूल्य (₹ करोड़ में)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत कार्रवाई टिप्पणियां की प्राप्ति की नियत तिथि
2013-14	0	0	6/4/2015	-
2014-15	2	2.72	18/3/2016	18/5/2016
2015-16	19	3373.14	27/3/2017	27/5/2017

उपर्युक्त तालिका लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विभागों की धीमी प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

¹ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा, बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकलाप पर निष्पादन लेखापरीक्षा, बिहार में शिक्षा का अधिकार 2009 का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा बिहार में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन पर विषयगत लेखापरीक्षा

1.7 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

राज्य सरकार के विभागों के लेखों के नमूना-जाँच के दौरान पाई गई वसूली से जुड़े लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित प्राधिकारियों की पुष्टि एवं लेखापरीक्षा की सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित किया जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ₹22.57 करोड़ की वसूली के कुल 17 मामलों को चिह्नित किया गया और विभागों द्वारा इसे स्वीकार किया गया। हालांकि, विभाग ₹1.40 लाख की राशि से जुड़े सिर्फ दो मामलों में वसूली कर सका।

1.8 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य में पाँच स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया था, जिसमें से चार लेखाओं का नवीकरण नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा के सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन और विधानमंडल में इसका प्रस्तुतीकरण **परिशिष्ट-1.4** में दर्शाया गया है।



अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा


यह अध्याय वर्ष के दौरान किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित करता है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन

2.1 परिचय

बिहार में 6,845 वर्ग कि०मी० का अधिसूचित प्राकृतिक वन क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र (94,163 वर्ग कि०मी०) का 7.27 प्रतिशत है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (व०सं०अधि०) के अनुसरण में, बिहार सरकार ने छः¹ वन्यजीव अभयारण्यों (वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व² सहित) और पाँच³ पक्षी अभयारण्यों (प०अ०), जो कुल मिलाकर 3,378.02 वर्ग कि०मी० के क्षेत्र में फैला हुआ है, को अधिसूचित किया (**परिशिष्ट-2.1**)। इसके अतिरिक्त, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो भागलपुर जिला में सुल्तानगंज से कहलगाँव तक गंगा नदी के लगभग 60 कि०मी० के विस्तार तक विस्तृत है, को भी बिहार सरकार द्वारा अभयारण्य के रूप में अधिसूचित (अगस्त 1991) किया गया। 12 अभयारण्यों और एक राष्ट्रीय उद्यान अर्थात् वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को नीचे मानचित्र में दर्शाया गया है:



¹ (i) भीमबाँध अभयारण्य, मुंगेर (ii) गौतम बुद्ध अभयारण्य, गया (iii) कैमूर अभयारण्य, कैमूर एवं रोहतास (iv) राजगीर अभयारण्य, नालन्दा (v) उदयपुर अभयारण्य, बेतिया एवं (vi) वाल्मीकि अभयारण्य, बेतिया।

² वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व


³ (i) बरैला झील सलीम अली प०अ० (ii) काँवर झील प०अ० (iii) कुशेश्वर स्थान प०अ० (iv) नागी बाँध प०अ०, एवं (v) नक्ती बाँध प०अ०

2.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकार स्तर पर प्रधान सचिव के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन विभाग (विभाग) और विभागीय स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। क्षेत्रीय स्तर पर प्रमंडलीय वन पदाधिकारी (प्र०व०पदा०), राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा, नीचे दिया गया है:

सारणी 2.1

राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा



(स्रोत: पर्यावरण एवं वन विभाग)

13 वन प्रमंडलों में से छः प्रमंडल वन्यजीव अभयारण्यों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं जो मुख्य वन संरक्षक के नियंत्रण में कार्यरत हैं। सात प्रमंडल, जो मुख्यतया वानिकी कार्य से सम्बद्ध हैं, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के नियंत्रण के अधीन हैं। यद्यपि, इन प्रमंडलों में वन्यजीव/अभयारण्यों से संबंधित मामले मुख्य वन्यजीव वार्डन के नियंत्रण के अधीन हैं।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य मानवबल की पर्याप्तता, वित्त की समय पर उपलब्धता और इसका कुशल उपयोग, नियोजन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता, संरक्षण की प्रभावशीलता एवं सुरक्षात्मक उपायों, आंतरिक निरीक्षण तंत्र की प्रभावशीलता आदि के आकलन का लक्ष्य था।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंडों के लिए स्रोत

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश, उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश, प्रबंधन योजनाएं, भारत के वन्यजीव संस्थान (भा०व०सं०), देहरादून के दिशा-निर्देश, बिहार वित्तीय नियमावली (बि०वि०नि०) और बिहार कोषागार संहिता इत्यादि लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत थे।

2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

यह निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2012-17 के दौरान अभिलेखों के नमूना-जाँच के माध्यम से वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यकलापों को, मुख्यालय स्तर पर प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों के कार्यालयों तथा क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित वन संरक्षकों के कार्यालयों सहित 13 प्रमंडलों⁴ को सम्मिलित करता है।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में दस्तावेज विश्लेषण, प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाओं का संग्रह और संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल थे।

अंतर्गमन सम्मेलन और बहिर्गमन सम्मेलन क्रमशः अप्रैल 2017 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और दिसम्बर 2017 में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन, बिहार के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र, कार्यप्रणाली और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागीय विचारों को प्रकाश में लाने के लिए आयोजित की गई थी। प्रतिवेदन में सरकार/विभाग के जवाब उचित रूप से शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6 मानव संसाधन प्रबंधन

विभाग के मानवबल की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1
मानवबल की स्थिति

क्र० सं०	विवरण	स्वीकृत बल संख्या	कार्यरत बल	रिक्ति प्रतिशतता
1	भारतीय वन सेवा (आई०एफ०एस०)	74	49	34
2	बिहार वन सेवा (बी०एफ०एस०)	68	23	66
	कुल	142	72	49
3	वन रेंज पदाधिकारी (आर०ओ०एफ०)	134	88	34
4	वनपाल	531	227	57
5	वनरक्षक	2,017	230	89
	कुल	2,682	545	80
	कुल योग	2,824	617	78

(स्रोत: पर्यावरण एवं वन विभाग)

अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि राज्य में भारतीय वन संवर्ग में 34 प्रतिशत रिक्तियों के बावजूद, सात अधिकारियों की तैनाती वानिकी कार्य से संबंधित नहीं थी चूंकि वे अन्य केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनियुक्ति पर थे। इसलिए उपलब्ध 49 भारतीय वन संवर्ग अधिकारियों के विरुद्ध केवल 42 विभाग के वानिकी और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न थे।

नमूना-जाँचित प्रमंडलों में अग्र पंक्ति के कर्मचारियों के पदों का 80 प्रतिशत रिक्त था।

तेरह वन्यजीव प्रमंडलों में सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत दस पदों को भरा नहीं गया था, यद्यपि वे वन्यजीव अभयारण्यों के सुरक्षा तथा क्षेत्र कार्यालयों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्य, जो उनके साथ निहित हो, के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी थे।

⁴ बेगूसराय, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व-I, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व-II, बेटिया, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, गया, मिथिला, जमुई, वैशाली और भागलपुर

रेंज पदाधिकारी अपने क्षेत्र के कुशल प्रबंधन एवं वनपाल तथा वनरक्षक द्वारा निष्पादित सभी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। वनपाल अपने क्षेत्र में सभी कार्यों और वनरक्षक के सभी कर्तव्यों जैसे वन सीमाओं का रखरखाव, गश्त, वृक्षों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकना, विभाग के कार्यों इत्यादि का पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। प्रमंडलो के स्वीकृत बल के विरुद्ध अग्र पंक्ति के कर्मचारी (रेंज अधिकारी, वनपाल और वनरक्षक) अपर्याप्त थे जिन्हें तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2
मार्च 2017 तक संबंधित वन प्रमंडलों में अग्र पंक्ति के कर्मचारी

अभयारण्य	कर्मचारी की स्थिति	रेंज अधिकारी	वनपाल	वन संरक्षक	कुल
वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व	स्वीकृत-बल	9	39	167	215
	कार्यरत-बल	8	9	20	37
	रिक्ति (प्रतिशतता)	11	77	88	83
पाँच अन्य वन्यजीव अभयारण्य	स्वीकृत-बल	30	151	651	832
	कार्यरत-बल	17	41	93	151
	रिक्ति (प्रतिशतता)	43	73	86	82
पाँच पक्षी अभयारण्य	स्वीकृत-बल	15	58	235	308
	कार्यरत-बल	11	20	43	74
	रिक्ति (प्रतिशतता)	27	66	82	76
एक डॉल्फिन अभयारण्य	स्वीकृत-बल	2	4	10	16
	कार्यरत-बल	2	1	4	7
	रिक्ति (प्रतिशतता)	0	75	60	56
कुल	स्वीकृत-बल	56	252	1,063	1,371
	कार्यरत-बल	38	71	160	269
	रिक्ति (प्रतिशतता)	32	72	85	80

(स्रोत: वन प्रमंडले)

अत्याधुनिक स्तर पर कर्मियों की गंभीर कमी के कारण, मार्च 2017 तक वनरक्षकों का अधिकार क्षेत्र, जो आदर्श रूप से लगभग 5 वर्ग कि०मी० होना चाहिए, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में बढ़कर 45 वर्ग कि०मी० हो गया है। विभाग ने दैनिक मजदूरों को वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में खोजी के रूप में शिकार-रोधी दल, गश्त कार्यों इत्यादि में लगाया। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व की सुरक्षा कार्यों में स्थानीय ग्रामीणों को वन्यजीव प्रबंधन में बिना प्रशिक्षण के अनुबंध पर लगाया गया। वर्ष 2012-17 के दौरान वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में दैनिक मजदूरों की तैनाती 292 से लेकर 557 के बीच थी। अनुबंधित कर्मचारी अग्र पंक्ति के कर्मचारी का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है और इसने वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में सुरक्षा एवं संरक्षण उपायों को गंभीरतापूर्वक प्रभावित किया जिसे वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन द्वारा भी बताया (अगस्त 2017) गया।

शेष 11 अभयारण्यों में, यह देखा गया कि अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए अग्र पंक्ति के कर्मचारियों का कोई समर्पित पद स्वीकृत नहीं किया गया था। इसलिए प्रमंडलों में अभयारण्यों का प्रबंधन तथा अन्य वानिकी कार्य उसी कार्य बल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे थे, जो प्रमंडलों के अन्य कार्यों को निष्पादित करते थे। वनपाल (213) तथा वनरक्षक (896) के स्वीकृत पदों के विरुद्ध क्रमशः 62 और 140 व्यक्ति संबंधित प्रमंडलों में कार्यरत थे (मार्च 2017)। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने यह भी अवलोकन⁵ (मार्च 2016) किया कि बिहार सरकार ने पिछले 20 वर्षों के दौरान कोई भी क्षेत्र कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं की थी।

⁵ राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 11 मार्च 2016।

वर्ष 2014 में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया दिसम्बर 2017 तक पूरी नहीं हुई थी और कर्मचारियों की कमी के कारण संरक्षण तथा सुरक्षा कार्य प्रभावित हुआ।

कर्मचारियों की कमी के परिणामस्वरूप कक्ष इतिहास⁶ का गैर-अनुरक्षण, जंगली जानवरों की संख्या का गैर-अनुमान, अपर्याप्त सर्वेक्षण और सीमांकन, पक्षी और डॉल्फिन अभयारण्य के संरक्षण में कमी, अपर्याप्त गश्त इत्यादि जैसे कार्यों में अभयारण्यों के संरक्षण और सुरक्षा उपायों में कमी को उत्तरगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, मानवबल में कमी ने अवैध शिकार, वृक्षों की अवैध कटाई इत्यादि के मामलों के अनुसंधान/प्रतिवेदित होने को प्रभावित किया।

विभाग ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2017) कि अग्र पंक्ति के कर्मचारियों की गंभीर कमी ने संरक्षण एवं सुरक्षा कार्यों को प्रभावित किया तथा सूचित किया कि रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2014 में कार्रवाई शुरू की गई। यद्यपि, नियुक्ति प्रक्रिया को भर्ती एजेंसियों यानि, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ण (दिसम्बर 2017) किया जाना था।

विभाग का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2012 से पहले अभयारण्यों में बड़ी संख्या में रिक्तियाँ मौजूद थी और विभाग ने पद को भरने के लिए देर से (2014) कदम उठाए थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि विभाग ने इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग के साथ कोई मामला उठाया था। आगे, यह देखा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में प्रक्रियागत विलम्ब और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई।

अनुशंसाएँ:

- **विभाग/सरकार को भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारणों की समीक्षा और रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।**
- **पर्याप्त मानवबल के अभाव में, विभाग/सरकार को वन्यजीव अभयारण्यों में संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों को बेहतर करने के लिए नई तकनीकें यथा कैमरा ट्रैपिंग, सेटेलाइट चित्रण, जी0आई0एस0/जी0पी0एस0 इत्यादि को अपनाने पर विचार करना चाहिए।**

2.7 वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा के लिए योजना

12 में से नौ वन्यजीव अभयारण्यों के लिए योजना तैयार नहीं की गई थी, हालांकि सरकार ने वर्ष 1976 से वर्ष 1997 के दौरान इन वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया था।

भारत सरकार के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 33 के संदर्भ में, राज्य का मुख्य वन्यजीव संरक्षक, अभयारण्यों के नियंत्रण, प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। आगे, संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव प्रबंधन की योजना बनाने की निर्देशिका अनुबंधित करता है कि प्रबंधन योजना के सभी प्रबंधन मुद्दों को यथार्थ रूप से सम्बोधित करना चाहिए और वस्तुनिष्ठता, गुणवत्ता एवं मानकों को बनाए रखना चाहिए। भारत सरकार द्वारा संरक्षण और सुरक्षा के लिए निधि जारी किया जाता है, जिसके संचालन का आधार वार्षिक योजना है, जो प्रबंधन योजनाओं के निष्पादन को ध्यान में रख कर किया गया है।

⁶ कक्ष इतिहास में वन पथ का विवरण, घास भूमि, खरपतवार की मौजूदगी, जीव अवलोकन, जल निकाय इत्यादि शामिल है।

⁷ भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा प्रकाशित

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि 12 अभयारण्यों में से केवल तीन (वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व: वर्ष 2013–23, कैमूर: वर्ष 2011–21 और भीमबांध: वर्ष 2015–25) के लिए प्रबंधन योजनाएँ तैयार किया गया था। यद्यपि, शेष नौ अभयारण्यों को वर्ष 1976 से वर्ष 1997 के बीच अधिसूचित किया गया, विभाग ने सिर्फ वर्ष 2014–15 में प्रबंधन योजनाओं (पाँच बाहरी एजेंसियों के माध्यम से और चार विभाग द्वारा) की तैयारी शुरू की। हालांकि, विभाग द्वारा प्रबंधन योजनाओं को अभी तक अंतिम रूप (मार्च 2017) दिया जाना बाकी था। प्रबंधन योजना की तैयारी में विलंब के लिए मुख्य तौर पर वनस्पति और जीव पर आवश्यक सूचनाओं का अभाव और अभयारण्यों का अपर्याप्त सीमांकन तथा सर्वेक्षण, जो प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए पूर्व आधार था और एजेंसियों के चयन में देरी जिम्मेदार है।

प्रबंधन योजना की अनुपस्थिति ने अभयारण्यों को केन्द्रीय सहायता से वंचित कर दिया तथा संरक्षण एवं सुरक्षा उपाय को प्रभावित किया।

प्रबंधन योजनाओं के अभाव में, राज्य केन्द्रीय सहायता से वंचित रहा। नौ अभयारण्यों, जिसके पास प्रबंधन योजनाएँ नहीं थी, ने वर्ष 2012–17 के दौरान सिर्फ तीन प्रतिशत (₹5.54 करोड़) राशि प्राप्त किया जबकि कुल निधि का 97 प्रतिशत (₹187.64 करोड़) राशि प्रबंधन योजनाओं वाले तीन अभयारण्यों को प्रदान किया गया जिसे **कंडिका-2.8.1** में विचार किया गया है। इसने अभयारण्यों में संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों को प्रभावित किया, जो उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने मानव बल की कमी और बाह्य एजेंसी (भारत का वन्यजीव संस्थान) के भाग में देरी को प्रबंधन योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के लिए जिम्मेदार बताया।

बाह्य एजेंसी के हिस्से में देरी के संबंध में विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग भारत के वन्यजीव संस्थान के साथ अभयारण्यों के वनस्पतियों एवं जीवों के संबंध में सूचना प्रदान नहीं कर सका। वन्यजीव संस्थान ने विभाग को भी सूचित (जून 2014) किया कि सूचनाओं के अभाव में प्रबंधन योजना की तैयारी में विलंब नहीं किया जाएगा। आगे, विभाग ने विभागीय स्तर से चार अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्णय (वर्ष 2014–15) लिया, यह जानते हुए कि मानवबल की कमी थी।

2.7.1 व्याघ्र संरक्षण योजना

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यह अनुबंध करता है कि राज्य सरकार एक व्याघ्र संरक्षण योजना निर्मित करेंगे, जिसे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है। आगे, भारत के वन्यजीव संस्थान के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक समयबद्ध ढांचे के अंदर योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य नीति और कार्यक्रम परिचालन एवं निधिकरण को प्रबंधन योजना में शामिल किया जाना है। बजट को वार्षिक करने की जरूरत है, जो सभी योजनाओं और प्रासंगिक वित्तीय निहितार्थ के तहत परिचालन लक्ष्यों को इंगित करता है।

वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 की अवधि में वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के व्याघ्र संरक्षण योजना की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने प्रथम व्याघ्र संरक्षण योजना को दिसम्बर 2014, अर्थात्, योजना शुरू होने के लगभग 20 महीने बाद, अनुमोदित किया। आगे यह देखा गया कि यद्यपि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने व्याघ्र संरक्षण योजना की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश (अक्टूबर 2012) जारी किया था, विभाग ने इसे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को फरवरी 2014 अर्थात् 15 महीने के अंतराल के बाद प्रस्तुत किया।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के व्याघ्र संरक्षण योजना (वर्ष 2013–23) को योजना शुरू होने के लगभग 20 महीने बाद अनुमोदित (दिसम्बर 2014) किया गया था। आगे खतरे को कम करने के लिए वर्ष-वार योजना जिसकी आवश्यकता थी, को व्याघ्र संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया था।

आगे की जाँच में पता चला कि व्याघ्र संरक्षण योजना में वर्ष-वार योजना/उद्देश्यों, आवश्यक निधि का वर्ष-वार निर्धारण, लुप्तप्राय और संरक्षित जानवरों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए रणनीतिक योजना तथा खतरों को कम करने के उपायों के बिना सिर्फ निष्पादन किए जाने वाले कार्यों का विवरण शामिल था। शुरू किए गए गतिविधियों के लिए वर्ष-वार योजना के अभाव में, अवैध शिकार के मामले, घास के मैदान का निर्माण/कायाकल्प, वृक्षों की अवैध कटाई, मानवजनित दबाव, वन एवं वन उत्पाद पर स्थानीय लोगों की निर्भरता इत्यादि को संबोधित (मार्च 2017) नहीं किया जा सका जो उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

विभाग ने अभयारण्यों के मूल एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों के अंतिम चित्रण तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उठाए गए प्रश्नों के अनुपालन में हुए विलंब को व्याघ्र संरक्षण योजना की तैयारी और अनुमोदन में हुई देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया (दिसम्बर 2017)। विभाग आश्वस्त था कि व्याघ्र संरक्षण योजना के अगले चरण से, वर्ष-वार योजना/उद्देश्यों को संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों के महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल किया जाएगा। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि बिहार सरकार ने पहले ही अगस्त 2012 में मूल और मध्यवर्ती क्षेत्रों का चित्रण किया था। विभाग ने व्याघ्र संरक्षण योजना को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के समक्ष सिर्फ फरवरी 2014 में प्रस्तुत किया था।

2.7.2 संचालन की वार्षिक योजना की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण

प्रत्येक अभयारण्य का प्रबंधन योजना, एक संचालन की वार्षिक योजना के द्वारा वार्षिक रूप से निष्पादित किए जाते हैं। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के समस्त कार्यक्रम समन्वित होने चाहिए तथा भारत सरकार के अनुमोदन के लिए अगले वर्ष के 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आगे, अन्य अभयारण्यों के संचालन के लिए एक वार्षिक योजना को अगले वर्ष के अंतिम मार्च तक भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012-17 के दौरान मुख्य वन संरक्षक-सह-क्षेत्रीय निदेशक ने वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के संचालन के लिए एक वार्षिक योजना को तीन से सात महीने की देरी से विभाग को प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप विभागों द्वारा भारत सरकार को इसे प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। इसी प्रकार, दो वन्यजीव अभयारण्यों (कैमूर और भीमबांध) के संचालन के लिए वार्षिक योजना, संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी द्वारा सर्वदा दो से तीन महीने के विलंब के साथ तैयार किए गए। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा संचालन के लिए वार्षिक योजना को अनुमति प्रदान करने में देरी हुई, इस तरह से अभयारण्यों को वित्तीय वर्ष के आरंभ के दो से सात माह के लिए वित्तीय सहायता से वंचित किया गया। परिणामस्वरूप, संरक्षण उपायों को इन महीनों के दौरान अभयारण्यों में कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने सूचित किया कि संचालन के लिए वार्षिक योजना को संबंधित प्रमंडलों से पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया और आश्वस्त किया कि संचालन के लिए वार्षिक योजना को अग्रिम रूप से भारत सरकार को भेजा जाएगा। विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार/राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण आने वाले वर्ष के संचालन के लिए वार्षिक योजना की तैयारी/प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक नहीं थे।

2.7.3 कक्ष इतिहास का अनुरक्षण

किसी भी नमून-जाँचित अभयारण्यों में कक्ष इतिहास का संधारण नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2014 (भारत में वनों और जैव विविधता के सतत प्रबंधन के लिए) के अनुसार, कक्ष इतिहास, वन का अच्छी तरह से प्रलेखित एक विवरण है, जो प्रति वर्ष रेंज कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। कक्ष इतिहास⁸, संरक्षण योजना और युक्तिपूर्ण प्रबंधन के लिए आवश्यक, में विस्तृत क्षेत्र सीमा रेखा⁹, वन सड़कें, घास के मैदानों, अवनति के संचालक, जंगली घास की उपस्थिति, जीव अवलोकन, जल स्रोतों आदि का विवरण शामिल है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-17 के दौरान किसी भी वन्यजीव अभयारण्यों में कक्ष इतिहास का संधारण नहीं किया गया था। कक्ष इतिहास के अभाव में, वार्षिक योजना जमीनी स्तर इनपुट पर आधारित नहीं था।

विभाग ने कक्ष इतिहास के गैर-रखरखाव के लिए वन रक्षकों के बहुत अधिक कमी को जिम्मेदार (दिसम्बर 2017) ठहराया।

अनुशंसा : विभाग को चाहिए :

- क्षेत्र इकाईयों से इनपुट के आधार पर, प्रत्येक अभयारण्य के लिए व्यापक प्रबंधन योजना तैयार करे।
- संरक्षण योजना के लिए अभयारण्यों में कक्ष इतिहास के संधारण को सुनिश्चित करे।

2.8 वित्तीय प्रबंधन

विभाग ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए संबंधित प्रमंडलों को केन्द्र सहायतित योजना, राज्य योजनाओं, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सी0ए0एम0पी0ए0) और वन आवास वन्य प्राणी संरक्षण कोष¹⁰ के अधीन निधि प्रदान किया।

2.8.1 निधि की उपलब्धता और व्यय

वर्ष 2012-17 के दौरान, विभाग के लिए कुल बजट प्रावधान और व्यय क्रमशः ₹1,375.96 करोड़¹¹ और ₹1,362.02 करोड़¹² (99 प्रतिशत) था। वर्ष 2012-17 के दौरान, विभाग द्वारा ₹193.18 करोड़¹³ की एक राशि संबंधित प्रमंडलों को 12 अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए उपलब्ध करायी गई थी जिसके विरुद्ध ₹183.54 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2012-17 के दौरान अभयारण्य-वार निधियों का विस्तृत आवंटन और इसके विरुद्ध किये गये व्यय, परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है। अभयारण्यों को उपलब्ध कराए गए निधि और इसके विरुद्ध हुए व्यय का सारांश तालिका 2.3 में इस प्रकार दर्शाया गया था।

⁸ संबंधित उप-क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

⁹ विभाग की परिसीमाएं सभी दिशाओं/सिराओं में बाउंड्री स्तंभों, लकीरे, पर्वत-स्कन्ध, प्रवाह इत्यादि विभाग क्षेत्र का सीमांकन करती हैं।

¹⁰ राज्य के अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यान, वन और वन्यजीव के संरक्षण, सुरक्षा और उत्थान के लिए विभाग द्वारा बनाया गया एक संस्था।

¹¹ राजस्व शीर्ष (मुख्य शीर्ष 2406): ₹1,276.18 करोड़ और पूंजीगत शीर्ष: (मुख्य शीर्ष 4406): ₹99.78 करोड़।

¹² राजस्व शीर्ष (मुख्य शीर्ष 2406): ₹1,262.79 करोड़ और पूंजीगत शीर्ष: (मुख्य शीर्ष 4406): ₹99.23 करोड़।

¹³ राज्य योजना: ₹97.16 करोड़; राज्य गैर-योजना: ₹28.99 करोड़; कोश: ₹28.21 करोड़; सी0ए0एम0पी0ए0: ₹4.91 करोड़; टाईगर रिजर्व: ₹27.71 करोड़; वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास: ₹5.19 करोड़; गहन वन प्रबंधन: ₹0.87 करोड़ और 13वाँ वित्त: ₹0.14 करोड़।

तालिका 2.3
वर्ष 2012-17 के दौरान अभयारण्यों के लिए विभाग द्वारा निधियों का आवंटन और प्रमंडलों द्वारा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

अभयारण्य	प्रबंधन योजना वाले तीन अभयारण्य				प्रबंधन योजना के बिना नौ अभयारण्य			
	वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व	कैमूर	भीमबांध	कुल (2+3+4)	तीन वन्यजीव अभयारण्य	पाँच पक्षी अभयारण्य	एक डॉल्फिन अभयारण्य	कुल (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवंटन	91.13	59.33	37.18	187.64	3.60	1.51	0.43	5.54
व्यय	82.65	58.99	37.12	178.76	3.02	1.46	0.30	4.78

(स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

वर्ष 2012-17 के दौरान विभाग ने तीन वन्यजीव अभयारण्यों को ₹187.64 करोड़ (97 प्रतिशत) का निधि प्रदान किया जबकि नौ वन्यजीव अभयारण्यों ने सिर्फ ₹5.54 करोड़ (तीन प्रतिशत) प्राप्त किया

प्रबंधन योजना के बिना तीन वन्यजीव अभयारण्यों को प्रदान किए गए ₹3.60 करोड़ में से, ₹62 लाख की एक नगण्य राशि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य को प्रदान की गई, इस तथ्य के बावजूद कि अभयारण्य में 138.34 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र शामिल था। आगे, वर्ष 2012-17 के दौरान पाँच पक्षी अभयारण्यों और एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य के प्रबंधन के लिए संबंधित प्रमंडलों में सिर्फ ₹1.94 करोड़¹⁴ प्रदान किया गया। यह भी देखा गया कि कांवर झील के अलावा, जिसे वर्ष 2012-14 के दौरान सिर्फ ₹11 लाख प्राप्त हुए, वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य योजना के अधीन पक्षी अभयारण्यों को निधियाँ प्रदान नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि संचालन की वार्षिक योजना की तैयारी भारत सरकार द्वारा सूचित संभावित आवंटन पर आधारित थी और अभयारण्यों की वास्तविक आवश्यकता पर नहीं। इसके परिणामस्वरूप निधियों की अपर्याप्तता हुई और इसने अभयारण्यों में संरक्षण एवं सुरक्षा कार्यों को प्रभावित किया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि तीन वन्यजीव अभयारण्यों (वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व, भीमबांध और कैमूर) को अन्य अभयारण्यों की तुलना में बड़े आकार और जैव-विविधताओं की समृद्धि के कारण निधि का बड़ा हिस्सा मिला। विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन सभी अभयारण्यों को बिहार सरकार ने इस आधार पर अधिसूचित किया था कि उनके पास पर्याप्त पारिस्थितिकीय, जीव एवं पुष्प महत्व था। अतः, तथ्य यह है कि प्रबंधन योजनाओं की तैयारी नहीं रहने के कारण नौ अभयारण्यों को निधि से वंचित रहना पड़ा।

2.8.2 वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में व्यय का आधिक्य

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय का आधिक्य 28 से 55 प्रतिशत के बीच था।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के दो प्रमंडलों के वर्ष 2014-17 अवधि के दौरान मासिक लेखा और बजट नियंत्रण पंजी की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों यथा अप्रैल और मई, के दौरान कोई योजना व्यय नहीं था। वर्ष 2016-17 में, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रमंडल-2 ने संरक्षण एवं सुरक्षा कार्यों, यहाँ तक कि वित्तीय वर्ष के चौथे माह (जुलाई) तक कोई व्यय नहीं किया। बिहार बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत, प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में व्यय 28 से 55 प्रतिशत के बीच था, जो अन्य महीना की तुलना में ज्यादा था। वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रमंडलों में देरी से निधि जारी करने के लिए, विभाग जिम्मेदार था।

¹⁴ सी०ए०एम०पी०ए० - ₹०.19 करोड़, कोश- ₹1.61 करोड़, राज्य योजना- ₹०.13 करोड़ और 13वाँ वित्त आयोग- ₹०.०1 करोड़।

लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमत होने पर, विभाग ने आश्वस्त किया (दिसम्बर 2017) कि भविष्य में प्रमंडलों को समय पर निधि जारी करने का प्रयास किया जाएगा।

2.8.3 वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में अप्रयुक्त निधि

राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा व्याघ्रों और जैव-विविधताओं, साथ ही पारिस्थितिक विकास के संरक्षण के प्रबंधन को सुगम तथा समर्थन के लिए वाल्मीकि व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित) के तहत आवश्यक था, को स्थापित किया (दिसम्बर 2010)। संस्थान को पर्यटकों से प्रवेश शुल्क संग्रहण तथा राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से निधियों की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान, पर्यटकों से संग्रहित ₹0.45 करोड़ के प्रवेश शुल्क (मार्च 2017 तक) के अतिरिक्त किसी भी स्रोत से निधियों की व्यवस्था नहीं कर सका। अप्रैल 2017 तक संस्थान के बैंक खाते में जमा राशि अव्ययित थी क्योंकि संचालक मंडल के बैठक जो पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में साल में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थी, एक बार भी आयोजित नहीं की गई। इस प्रकार, संस्थान के स्थापना का उद्देश्य निरर्थक रहा।

विभाग ने आश्वस्त किया (दिसम्बर 2017) कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा: सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों को समय पर पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना चाहिए। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व संस्थान के निधि का अपेक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग और संचालक मंडल की वर्णित बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.9 वन्यजीव अभयारण्यों का संरक्षण

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार, वन्यजीव और इनके आवास की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उपाय किए जाने चाहिए। संरक्षण में घास के मैदानों के विकास द्वारा वन्यजीव एवं इनके आवास को सुरक्षित करना, खरपतवार निवारण, जल संरक्षण इत्यादि शामिल हैं। वन्यजीव एवं इसके आवास से संबंधित मामलों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है:

2.9.1 व्याघ्रों का अनुमान

प्रमुख स्तनधारियों के अस्तित्व का आकलन करने के लिए वन्यजीव अभयारण्यों द्वारा




वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में व्याघ्र

आबादी का आकलन प्रति वर्ष किए जाते हैं। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में व्याघ्रों की अनुमानित संख्या वर्ष 2012-13 के दौरान 22 और वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 के दौरान 28 थी।

वर्ष 2015-16 में व्याघ्रों की संख्या का आकलन नहीं किया गया था, यद्यपि वर्ष 2016-17 के लिए व्याघ्रों की आबादी प्रतिवेदन, विश्व वन्यजीव कोष-भारत (मई 2017) द्वारा अंतिम रूप दिया जाना था।

विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान व्याघ्रों की आबादी के गैर-आकलन के लिए क्षेत्र कर्मियों की कमी को जिम्मेदार बताया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कार्य राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार, विभाग में क्षेत्र कर्मियों की कमी के बावजूद, कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

वर्ष 2013 में विश्व वन्यजीव महासंघ-भारत के प्रतिवेदन के अनुसार, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व



के आठ श्रेणियों में से दो¹⁵ में मानवजनित दबाव¹⁶ के कारण चूंकि इस श्रेणियों के क्षेत्रों में राजस्व गाँव मौजूद थे, वर्ष 2013 में कोई व्याघ्र नहीं मिला। अभिलेख ऐसा कुछ नहीं दिखाता है कि विभाग ने मई 2017 तक प्रभावित क्षेत्र में मानवजनित दबाव को कम करने के लिए गाँवों के स्थानांतरण के लिए कोई योजना तैयार

की थी।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति जताया और कहा कि दो श्रेणियों में, मुख्य रूप से भू-भागीय परिस्थिति और मानवजनित दबाव के कारण आवास की गैर-उपयुक्तता के कारण व्याघ्र मौजूद नहीं थे। आगे कहा गया कि गाँवों के स्थानांतरण के लिए योजना तैयार नहीं की गई थी क्योंकि इसे अध्ययन और अनुसंधान कार्य की आवश्यकता थी।

अनुशंसा: विभाग को मानवजनित दबाव को कम करने के लिए अभयारण्य क्षेत्र के आस-पास के गाँवों के स्थानांतरण के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए।

2.9.2 वन्यजीवों का आकलन

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के प्रबंधन को प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के आबादी का आकलन/गिनती करने की आवश्यकता थी। हालांकि भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, शिकार आबादी का आकलन प्रत्येक तीन से पाँच वर्षों के अंतराल पर वन्यजीव अभयारण्यों में किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि वन्यजीव के आबादी का गणना/आकलन वर्ष 2012-17 के दौरान किसी भी अभयारण्यों में पूरा नहीं किया गया था। विभागीय अभिलेखों के अनुसार, छः वन्यजीव अभयारण्यों में पिछले वर्षों के दौरान आकलित वन्यजीवों की संख्या को तालिका 2.4 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

¹⁵ चिउटहा और हरना भूमि का दक्षिणी भाग

¹⁶ मानवजनित दबाव: मानव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैव भौतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र जैव-विविधता तथा प्राकृतिक संसाधन में बदलाव

तालिका 2.4
वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव की उपस्थिति

वन्यजीव अभयारण्य	नवीनतम आकलन (वर्ष)	वृहद स्तनधारियों की उपस्थिति (संख्या)
भीमबांध	प्रबंधन योजना (2014)	तेंदुए ^s , हायना*, स्लॉथ भालू [^] , चार हॉर्न एंटीलोप*, सांबर, गंगा नदी डॉल्फिन** आदि
गौतम बुद्ध	कार्य योजना (2013-14)	हायना*, भेड़िया*, जंगली सुअर, सांबर, स्पॉटेड हिरण आदि
कैमूर	प्रबंधन योजना (2010)	तेंदुए ^s (56), सांबर(132), चीतल(661), चार हॉर्न एंटीलोप* (18), जंगली सुअर(3,043), पोर्क्यूपिन(345), स्लॉथ भालू [^] (713) इत्यादि।
राजगीर	प्रबंधन योजना (2003)	जंगली सुअर(102), ब्लैक नेप्ड खरगोश (122), वानर समूह (147), जंगली बिल्ली* (12), सुनहारा सियार (26) इत्यादि।
उदयपुर	प्रबंधन योजना (2016-17)	स्पॉटेड हिरण, बार्किंग हिरण, नीलगाय, साही इत्यादि।
वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व	व्याघ्र संरक्षण योजना (2012)	चीतल(13,632), सांबर(1,686), जंगली सुअर(9,091), अरना भैंसा (168), बार्किंग हिरण(1,667), हॉग हिरण* (49), स्लॉथ भालू [^] (306) इत्यादि।

*चेतावनी के करीब # चेतावनी \$ विलुप्त **खतरे में ^ चपेट में

(स्रोत: नमूना-जांचित प्रमंडलों के अभिलेख)

वर्ष 2012-17 के दौरान पाँच पक्षी अभयारण्यों और छः वन्यजीव अभयारण्यों में से किसी एक में भी वन्यजीव का आकलन नहीं किया गया

चूंकि शिकारी जानवरों का संरक्षण भी प्रत्यक्ष रूप से शिकार के संरक्षण पर निर्भर करता है, व्याघ्र संरक्षण के पर्याप्त एवं प्रभावी उपाय विभिन्न जंगली जानवरों की संख्या के संबंध में डाटा के अभाव में संभव नहीं होंगे। एक स्वस्थ और सतत पारिस्थितिक तंत्र के लिए, खाद्य पिरामिड के प्रत्येक स्तर के संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसा नहीं होने पर संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य पिरामिड अस्त-व्यस्त हो जाते हैं।

वन्यजीव आबादी के गैर-आकलन से संकेत मिला कि विभाग वन्यजीव अभयारण्यों में भोजन और चारा की आवश्यकताओं का आकलन नहीं कर सका।

विभाग ने मानवबल की कमी को जंगली जानवरों के गैर-आकलन के लिए जिम्मेदार बताया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के बड़े स्तनधारियों का आकलन वर्ष 2012 में क्षेत्र कर्मियों की कमी के बावजूद किया गया था।

अनुशंसा:

- इस तरह की रिक्तियों को प्राथमिकता पर भरे जाने तक, विभाग को अभयारण्यों में वन्यजीव आकलन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए।
- अभयारण्यों में वन्यजीव के आकलन के लिए विभाग को ड्रोन, कैमरा ट्रैप आदि जैसी तकनीक को अपनाने पर विचार करना चाहिए।

2.9.3 भोजन/चारा के लिए प्रावधान

अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार, आवश्यकतानुसार घास के मैदानों को नियमित आधार पर भरा जाना था, क्योंकि जानवर परिपक्व घास नहीं खाते। क्षेत्रीय निदेशक वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व और संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी अभयारण्यों में घास के मैदानों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में घास के मैदानों की सीमा वर्ष 2004 से वर्ष 2012 के दौरान लगभग 44 वर्ग कि०मी० (कुल क्षेत्र का पाँच प्रतिशत) में अपरिवर्तित रही। यद्यपि वर्ष 2012-17 के दौरान वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में 17.55 वर्ग कि०मी० घास के मैदानों का निर्माण किया गया था, जंगली जानवरों का अनुमान नहीं होने के कारण, आवश्यकता का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया था।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के मंगुराहा रेंज में घास के मैदानों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि घास परिपक्व हो गया था और शाकाहारी जानवरों के खाने के लिए उपयुक्त नहीं था।



परिपक्व घासस्थल शाकाहारी जानवरों के खाने के लिए अनुपयुक्त

चार¹⁷ वन्यजीव अभयारण्यों में यह देखा गया कि वर्ष 2012–17 के दौरान 400 हेक्टेयर घास के मैदानों का निर्माण, बिना किसी आकलन और शाकाहारी जानवरों के साथ मांसाहारी जानवरों के संभावित स्थानों की पहचान के बिना किया गया था।


विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति (दिसम्बर 2017) व्यक्त की और कहा कि नये घास के स्थल निर्माण से पहले आकलन जरूरी था और आश्वासन दिया कि इस पर ध्यान दिया जाएगा।

अनुशंसा: विभाग को नियमित रूप से आवश्यकता आधारित घास के स्थलों का विस्तार और रखरखाव करना चाहिए।

2.9.4 मानवजनित दबाव

• स्थानीय ग्रामीणों के कारण मानवजनित दबाव

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में, हालांकि मुख्य क्षेत्र में कोई गांव स्थित नहीं था, 136 गांव मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित था।



तीन वन्यजीव अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में और आस-पास के गाँवों की उपस्थिति के कारण भारी मानवजनित दबाव था।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 26 राजस्व गाँव 82 वर्ग कि०मी० में फैले हुए थे, जिनकी जनसंख्या 24,538 थी, जो रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से घिरा हुआ था। परिणामस्वरूप स्थानीय आबादी वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के पारंपरिक मार्गों का

उपयोग करते हैं। आरक्षित क्षेत्र के भीतर पाँच¹⁸ तीर्थयात्री मंदिर मौजूद थे और इन क्षेत्रों में हर वर्ष मेले आयोजित किए जाते थे।

इसी तरह, दो वन्यजीव अभयारण्य में 92 गाँव¹⁹ मुख्य क्षेत्रों और 259 गाँव²⁰ मध्यवर्ती क्षेत्रों में स्थित थे। लाभार्थी सर्वेक्षण से पता चला कि लाभार्थी सर्वेक्षण में शामिल 130 ग्रामीणों

¹⁷ भीमबांध: 100 हे०, गौतम बुद्ध: 70 हे०, कैमूर: 220 हे० तथा राजगीर: 10 हे०

¹⁸ त्रिवेणीघाट (जटाशंकर), नरदेवी, मदनपुर देवीस्थान, सोमेश्वर और सोफा मंदिर।

¹⁹ कैमूर: 85 गाँव (650.64 वर्ग कि०मी०) तथा भीमबांध: 7 गाँव (183.87 वर्ग कि०मी०)

²⁰ कैमूर: 138 तथा भीमबांध: 121

में से 94 ग्रामीण (72 प्रतिशत) जलाने योग्य लकड़ी और अन्य वन्य उत्पादन पर निर्भर थे।



वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व से ईंधन की लकड़ी और वन उत्पादन संग्रह

गाँवों की उपस्थिति ने वन्यजीव पर भारी मानवजनित दबाव और ग्रामीणों को पुनर्स्थापित करने में मुख्य वन्यजीव वार्डन की विफलता का संकेत दिया।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2017) के दौरान, विभाग ने स्वीकार किया कि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के मामले में, हालांकि गाँवों के पुनर्स्थापन के लिए कार्य सूची व्याघ्र संरक्षण योजना (वर्ष 2013–23) में शामिल है, फिर भी गाँवों के पुनर्स्थापन की योजना अभी तैयार नहीं की गई है। इसे आगे स्वीकार किया गया कि गाँवों के पुनर्स्थापन के लिए व्यवहार्यता का आकलन कैमूर और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में नहीं किया गया था।

• बुनियादी ढांचे के विकास के कारण मानवजनित दबाव

यह देखा गया कि बगहा-छतौनी रेल लाइनों और वन्यजीवों के गतिविधि में बाधाओं के कारण वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में मानवजनित दबाव था। रेलवे लाइन के आसपास वन्यजीव



वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन

के सुरक्षित गतिविधि को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण 63²¹ व्याघ्र, गैण्डा, मगरमच्छ आदि जंगली जानवरों की मौत (अगस्त 2006 से मार्च 2017) और 24 जानवरों की मौत अकेले वर्ष 2012–17 के दौरान हुई। आगे, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ट्रेन की गति (दिन के दौरान 40 कि०मी०/घंटा और रात के दौरान 25 कि०मी०/घंटा) सीमित

करने के लिए एवं रेलवे लाइन से पाँच मीटर की दूरी तक सफाई करने के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश (दिसम्बर 2015) का पालन नहीं किया गया था। रेलवे ने स्पष्ट रूप से (सितम्बर 2015) वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व से गुजरने वाली ट्रेनों की गति को कम करने में असमर्थता व्यक्त की थी और इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई (मार्च 2017)।

शेष पाँच वन्यजीव अभयारण्यों में से चार²² में यह देखा गया कि या तो राष्ट्रीय राजमार्ग या गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें यहाँ से गुजरती/विभाजित कर रही थी। वर्ष 2012–17 के दौरान कैमूर में पाँच जानवर और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में एक जानवर सड़क

अगस्त 2006 से मार्च 2017 के दौरान वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन पर 63 जंगली जानवर जिसमें व्याघ्र, गैँडा, मगरमच्छ आदि शामिल थे, मारे गये थे।

²¹ चीतल: 11; मगरमच्छ: 3; हिरण: 2; फिशिंग बिल्ली: 2; सियार: 1; बंदर: 3; नीलगाय: 31; सुअर: 1; पाईथॉन: 6; गैँडा: 2; व्याघ्र: 1

²² भीमबांध, मुंगेर; गौतम बुद्ध, गया; कैमूर, भभुआ तथा राजगीर, नालंदा

दुर्घटनाओं में मारे गए थे। तथापि, विभाग द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, अभिलेखों में नहीं देखा गया।

अनुशंसा: विभाग को भारत सरकार और बिहार सरकार की मदद से गाँवों को पुनर्स्थापित करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए और जंगली जानवरों के सड़क/रेल दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कम से कम गति सीमा बनाए रखना चाहिए।

2.9.5 अग्नि रेखा प्रबंधन

व्याघ्र संरक्षण योजना के अनुसार, आग लगने के लिए प्रतिरक्षात्मक उपाय के रूप में हर साल अग्नि रेखा²³ का निर्माण/रखरखाव पूरा किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवश्यक 1,139 कि०मी० की लम्बाई के साथ 130 अग्नि रेखाओं के लिए वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में अग्नि रेखाओं का निर्माण/रखरखाव वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान अपर्याप्त था, जैसा कि नीचे तालिका 2.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5
वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में वर्ष-वार अग्नि रेखाओं की उपलब्धता और अग्नि घटनाओं का विवरण

वर्ष	अग्नि रेखाओं की उपलब्धता		अग्नि घटनाओं की संख्या
	संख्या	लम्बाई (कि०मी० में)	
2012-13	44	330	351
2013-14	44	330	270
2014-15	53	326	374
2015-16	64	407	251
2016-17	66	455	705

(स्रोत: मुख्य वन संरक्षक-सह-क्षेत्रीय निदेशक का अभिलेख)

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2012-17 के दौरान आरक्षित क्षेत्र का 28.86 वर्ग कि०मी० जमीन आग की घटनाओं के कारण प्रभावित हुआ। वन्यजीव और वनस्पति का कोई नुकसान प्रतिवेदित नहीं हुआ। मुख्य संरक्षक-सह-क्षेत्रीय निदेशक ने अग्नि रेखाओं की कमी तथा आग लगने के कारण के लिए धन की कमी और रिजर्व क्षेत्र में गाँवों की निकटता को जिम्मेदार ठहराया (अगस्त 2017)। चूंकि आग की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, इसलिए भविष्य में वन्यजीव और वनस्पति की नुकसान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

2.9.6 सर्वेक्षण/सीमांकन और सीमा स्तंभ का निर्माण

भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशा-निर्देश, अभयारण्यों के सीमाओं की सीमा और सीमा स्तंभों के निर्माण को निर्धारित करते हैं। सीमा रेखा को स्पष्ट रखने और अभयारण्य क्षेत्र के सीमा स्तंभों को बनाए रखने के लिए उप-क्षेत्र का वनरक्षक जिम्मेदार है।

छ: वन्यजीव अभयारण्यों में से गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य में सर्वेक्षण और सीमांकन कार्य नहीं किए गए थे। 15,176²⁴ सीमा स्तंभों की आवश्यकता के विरुद्ध दो²⁵ वन्यजीव अभयारण्यों में मार्च 2017 तक केवल 6,476²⁶ (43 प्रतिशत) स्तंभ लगाए गए थे क्योंकि विभाग ने इसके लिए धन उपलब्ध नहीं कराया था। इसके अलावा यह देखा गया कि पाँच वन्यजीव अभयारण्य में कुल 638.14²⁷ हेक्टेयर अधिसूचित भूमि (मार्च 2017) अतिक्रमित थे।

²³ वनस्पतियों या अन्य ज्वलनशील पदार्थ में एक अंतराल जो दावानल या जंगल के आग के गति को कम या खत्म करने में एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है।

²⁴ कैमूर: 10,176 तथा भीमबांध: 5,000

²⁵ कैमूर तथा भीमबांध, मुंगेर वन्यजीव अभयारण्य

²⁶ कैमूर: 5,235 तथा भीमबांध: 1,241

²⁷ भीमबांध: 5.88 हे०; गौतम बुद्ध: 7.18 हे०; कैमूर: 590.79 हे०; राजगीर: 0.45 हे० तथा वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व: 33.84 हे०।

विभाग लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत (दिसम्बर 2017) था और क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी को अपर्याप्त सर्वेक्षण तथा अभयारण्य भूमि के सीमांकन नहीं होने के लिए जिम्मेदार बतलाया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य आकस्मिक/संविदात्मक कर्मचारियों के द्वारा पूरा किया जा सकता था।

अनुशंसा: विभाग को अभयारण्य के सर्वेक्षण और सीमांकन को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

2.9.7 वन्यजीव अभयारण्य से गुजरने वाली विद्युत रेखाएँ

वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2011) के अनुसार प्राकृतिक क्षेत्रों में निचले बिजली लाइनों की अनुमति नहीं है और मौजूदा सड़क संरक्षण के साथ भूमिगत बिजली के केबलों का ध्यानपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए था।

दो²⁸ वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया था कि बिजली लाइन अभयारण्य क्षेत्र से गुजर रही थी। वन अधिकारियों ने कहा कि पास के गाँव को जोड़ने वाली ये पावर लाइन कई वर्षों से अस्तित्व में है।

विभाग ने कहा कि मौजूदा निचले बिजली के लाइनों को भूमिगत केबल के साथ बदलने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। आगे यह कहा गया कि अब अभयारण्यों में केवल कवर किए गए बिजली के केबलों की अनुमति दी गई थी।

अनुशंसा: वन्यजीव मानदंडों के अनुसार मौजूदा बिजली लाइनों को बदलने के लिए विभाग को कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

2.10 वन्यजीव अभयारण्य की सुरक्षा

संरक्षण और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए प्रमुख घटकों में गश्त या शिकार-रोधी शिविर/चौकी, वायरलेस नेटवर्क और अन्य सुरक्षा उपकरण इत्यादि शामिल हैं। नमूना-जाँचित प्रमंडलों के अंतर्गत वन्यजीव तथा इसके आवास के संरक्षण के लिए सुरक्षा एवं बचाव के उपायों में पाई गई कमी का अगले कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

• गश्त/शिकार-रोधी शिविर

शिकार के मामलों को कम करने के लिए शिकार-रोधी शिविर स्थापित किया जाना है तथा वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के मुख्य संरक्षक-सह-वन निदेशक द्वारा निगरानी की जानी है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार लगभग 25-35 वर्ग कि०मी० क्षेत्र के लिए एक शिविर स्थापित किया जाना है। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में शिकार-रोधी शिविरों की स्थापना के साथ-साथ शिकार के मामलों की स्थिति तालिका 2.6 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.6

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में वर्ष 2012-17 के दौरान शिकार-रोधी शिविर और शिकार के मामले

वर्ष	उपलब्ध शिकार-रोधी शिविर की संख्या	शिकार मामलों की संख्या
2012-13	7	13
2013-14	23	3
2014-15	29	6
2015-16	33	12 ²⁹
2016-17	43	28

स्रोत : वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के अभिलेख

²⁸ गौतम बुद्ध तथा राजगीर

²⁹ चार व्याघ्रों सहित

अनियत/संविदात्मक कर्मचारी, जो वन्यजीव सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, को वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के शिकार-रोधी शिविर में तैनात किया गया।

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन ने लगभग 900 वर्ग कि०मी० के क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए वर्ष 2012-17 के दौरान शिकार-रोधी शिविरों की संख्या में सात से 43 की वृद्धि की थी, जो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण अधिनियम के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त थी। यद्यपि, जानवरों यथा बाघ, चीतल, जंगली सांड इत्यादि के अवैध शिकार के संख्या में वृद्धि हुई।

यह भी देखा गया था कि आवश्यक पाँच प्रशिक्षित कर्मियों के नियोजन के विरुद्ध, केवल चार से पाँच दैनिक/संविदात्मक कर्मचारी, जो वन्यजीव संरक्षण में प्रशिक्षित नहीं थे, को तैनात किया गया। हालांकि शिकार-रोधी शिविर की स्थापना का मानदंड पूरा किया गया, लेकिन शिकार के मामलों में वृद्धि हुई, पिछले वर्षों में शिकार के अप्रतिवेदित मामलों, शिकार-रोधी शिविर के अनियोजित/अनुपयुक्त स्थान तथा अप्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती का संकेत मिलता है। आगे, विशेष व्याघ्र संरक्षण बल, जैसा कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण अधिनियम के निर्देशों के तहत आवश्यक है, को न तो सृजित किया गया और न ही तैनात किया गया था।

पाँच शिकार-रोधी शिविर³⁰ के संयुक्त भौतिक सत्यापन में उद्घटित हुआ कि वहाँ पेयजल की सुविधाओं की कमी थी, शौचालय उपयोग में नहीं थे और वहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। दो³¹ शिकार-रोधी शिविर रहने के लिए उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि छत से रिसाव था।



वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में शिकार-रोधी शिविर

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन ने अनुश्रवण प्रतिवेदनों को संधारित नहीं किया था, इस प्रकार के प्रतिवेदनों के अभाव में, लेखापरीक्षा आकलन नहीं कर सका कि क्या शिकार-रोधी शिविर के निगरानी का कार्य किया गया। शिकार-रोधी शिविरों के इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में निधि के अभाव के साथ ही विभाग के उच्चतर अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण जिम्मेदार था।

जवाब में, विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि शिकार-रोधी शिविरों के भौतिक मूल संरचना में सुधार किया जाएगा। हालांकि, पर्याप्त संख्या में शिकार-रोधी शिविरों के बावजूद, शिकार के मामलों में वृद्धि के कारणों को विभाग ने नहीं बतलाया।

चार वन्यजीव अभयारण्यों में, भीमबांध को छोड़कर, कोई गश्त/शिकार-रोधी शिविर स्थापित नहीं किया गया था, यद्यपि इन वन्यजीव अभयारण्यों द्वारा 1,699 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र शामिल किया गया था। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में, वर्ष 2015-17 की अवधि के दौरान, 10 की आवश्यकता के विरुद्ध केवल चार शिकार-रोधी शिविर क्रियाशील थे। गश्त/शिकार-रोधी शिविरों के अभाव में, वन्य प्राणियों के अवैध शिकार और वृक्षों की अवैध कटाई के गैर/कम प्रतिवेदित होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता था।

³⁰ वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में गुलारबाना, लक्ष्मिनियां, बालबल, सोफा तथा जमहौली

³¹ बालबल और सोफा

जवाब में, विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि क्षेत्र कर्मियों की गंभीर कमी के कारण, शिकार-रोधी शिविरों को पर्याप्त संख्या में स्थापित नहीं किया जा सका। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षित संविदात्मक कर्मियों को न्यूनतम संभव सुरक्षा और प्रतिरोध को सुनिश्चित करने के लिए गश्त/शिकार-रोधी कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता था।

• **सतर्कता और सुरक्षा उपाय**

अभयारण्यों के व्याघ्र संरक्षण योजना और प्रबंधन योजनाओं के अनुसार, वन कर्मियों को अभयारण्य का प्रबंधन एवं संरक्षण तथा सतर्कता एवं सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए आवश्यक उपकरण यथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0), वायरलेस सिस्टम, कैमरा ट्रैप, दूरबीन, रात्रि दृष्टि उपकरण इत्यादि को रखने की आवश्यकता है।

यह देखा गया कि छः वन्यजीव अभयारण्यों में से उक्त उपकरण दो³² वन्यजीव अभयारण्यों में बिल्कुल नहीं था। शेष चार वन्यजीव अभयारण्यों में, मार्च 2017 तक क्रियाशील उपकरण की आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति निम्न तालिका 2.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.7
चार वन्यजीव अभयारण्यों में उपकरणों की उपलब्धता

क्रम संख्या	वन्यजीव अभयारण्यों के नाम	दूरबीन		जी0पी0एस0		कैमरा ट्रैप		वायरलेस सेट		रात्रि दृष्टि उपकरण	
		अ	उ	अ	उ	अ	उ	अ	उ	अ	उ
1	भीमबांध	6	1	40	20	40	0	अना	0	20	0
2	कैमूर	8	6	16	13	40	19	10	0	6	0
3	राजगीर	अना	0	10	2	2	0	2	0	अना	0
4	वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व	24	9	170	52	500	253	45	16	9	8

(अ = अपेक्षित, उ = उपलब्ध और अना = अनाकलित)

(स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

किसी भी वन्यजीव अभयारण्यों में सतर्कता और सुरक्षा उपायों के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं पाया गया।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, दो प्रमंडलीय कार्यालयों ने दूरबीन, वायरलेस सेटों और रात्रि दृष्टि उपकरणों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था। आगे, उपर्युक्त सभी उपकरणों की उपलब्धता, सभी वन्यजीव अभयारण्यों में गश्त एवं शिकार विरोधी मुकाबला के लिए अपर्याप्त थी। उपकरणों की कमी के लिए मुख्य रूप से निधियों की अपर्याप्तता जिम्मेदार थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में वर्ष 2015-16 के दौरान शिकार के चार मामले प्रतिवेदित हुए और वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व प्रबंधन, अपर्याप्त गश्त और आवश्यक उपकरण जैसे-दूरबीन, वायरलेस सेट इत्यादि के कारण शिकार के बारे में अनभिज्ञ था। इस घटना की जानकारी वन्यजीव अभयारण्य प्रबंधन को तब हुई जब दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन³³ द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (जनवरी 2016) को सूचना प्रदान की गई। अभिलेखों की संवीक्षा से आगे उद्घटित हुआ कि व्याघ्र रिजर्व में अप्रशिक्षित दैनिक श्रमिकों की प्रतिनियुक्ति के सिवाय, वायरलेस नेटवर्क ने रिजर्व के अन्य क्षेत्रों को कवर नहीं किया, जी0पी0एस0 गश्त का अभाव था तथा क्षेत्र कर्मियों को आग्नेयास्त्र प्रदान नहीं किये गये थे। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने भी पाया (मार्च 2016) कि रेंज अधिकारी/प्रमंडल अधिकारी प्रतिदिन के आधार पर गश्त के अनुश्रवण करने में विफल रहे।

³² उदयपुर और गौतम बुद्ध

³³ भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा:

- विभाग को सभी वन्यजीव अभयारण्यों के लिए पर्याप्त गश्त/शिकार-रोधी शिविर सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी सही ढंग से प्रशिक्षित तथा हथियारों से लैस हो।
- विभाग नई प्रौद्योगिकियों जैसे-थर्मल इमेजिंग कैमरा इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए शिकार विरोधी तंत्र को विकसित करने पर विचार कर सकता है।

2.11 पक्षी अभयारण्यों का संरक्षण और सुरक्षा

क्षेत्र में पक्षी विविधताओं को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1987 और वर्ष 1997 के बीच राज्य में पाँच पक्षी अभयारण्यों को सृजित किया गया था। यह पक्षी अभयारण्य चार जिलों में 99.57³⁴ वर्ग कि०मी० के एक क्षेत्र में फैले हैं। वर्ष 2012-17 के दौरान विभाग ने इन पक्षी अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए केवल ₹1.51 करोड़ प्रदान किया, जिसके विरुद्ध संबंधित प्रमंडलों द्वारा ₹1.46 करोड़ व्यय किया गया। पक्षी अभयारण्य की सुरक्षा और संरक्षण कार्यों के लिए विभाग द्वारा अग्र पंक्ति के कर्मचारियों का कोई समर्पित पद स्वीकृत नहीं किया गया था। इन अभयारण्यों में पक्षी विविधता के संरक्षण और सुरक्षा में पाई गई कमियाँ (मई-जुलाई 2017) निम्नानुसार थी:

• वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन और प्रलेखन

क्षेत्र में स्थित वनस्पति और जीवों के पर्यवेक्षण का संचालन भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना था, ताकि उचित संरक्षण उपायों को विकसित किया जा सके। यह देखा गया था कि वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन और प्रलेखन, पाँच पक्षी अभयारण्य में से दो³⁵ में नहीं किया गया था। इसलिए, महत्वपूर्ण प्रजातियों के पक्षियों (प्रवासी और मूल) और वनस्पतियों एवं जीवों के बारे में कोई सूचना, प्रमंडल कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। आगे देखा गया कि तीन³⁶ पक्षी अभयारण्य में, जहाँ सूचना उपलब्ध थी, संबंधित प्रमंडलों ने अभयारण्यों के लिए किसी भी संरक्षण कार्यों को कार्यान्वित नहीं किया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति (दिसम्बर 2017) व्यक्त की और क्षेत्र मानवबल की कमी को, वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन और प्रलेखन की असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया।

• पक्षियों का सर्वेक्षण और आकलन

भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अभयारण्य क्षेत्रों में पक्षियों के आबादी के सर्वेक्षण और आकलन तथा जल गुणवत्ता के विश्लेषण की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि कांवर और कुशेश्वर स्थान अभयारण्यों में पक्षियों का आकलन और जल निकायों के जल गुणवत्ता की जाँच नहीं की गई थी। शेष तीन³⁷ में, जल गुणवत्ता की जाँच देर से की गई, अर्थात् इसकी अधिसूचना के 18 साल से ज्यादा

³⁴ बरैला झील (वैशाली): 1.98 वर्ग कि०मी०; कांवर झील (बेगूसराय): 63.12 वर्ग कि०मी०; कुशेश्वर स्थान (दरभंगा): 29.22 वर्ग कि०मी०; नागी डैम (जमुई): 1.92 वर्ग कि०मी० तथा नक्ती डैम (जमुई): 3.33 वर्ग कि०मी०

³⁵ कांवर झील और कुशेश्वर स्थान

³⁶ बरैला झील, नागी डैम और नक्ती डैम

³⁷ नागी डैम, नक्ती डैम (वर्ष 2014-15) तथा बरैला (वर्ष 2015-16)

वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन और प्रलेखन की अनुपस्थिति, वृक्षारोपण कार्या की अपर्याप्ता, जल परीक्षण की अनुपस्थिति आदि ने पक्षी अभयारण्यों में संरक्षण उपायों की कमी को इंगित किया।

व्यतीत हो जाने के बाद। पक्षियों का आकलन और जल गुणवत्ता का विश्लेषण नहीं किया गया था क्योंकि विभाग ने प्रमंडलों को निधि प्रदान नहीं किया था।

विभाग ने, जबकि इस प्रकार के विशिष्ट गतिविधियों में क्षेत्र कर्मियों के प्रवीणता एवं क्षमता में कमी को स्वीकारा है, आश्वस्त किया कि पक्षियों की आबादी का आकलन किया जाएगा।

- **वृक्षारोपण कार्य**

पक्षियों के घोंसला और बसेरा के लिए पौधों की प्रजातियों का संरक्षण अनिवार्य है। वर्ष 2014-15 तक कांवर झील को छोड़कर अन्य किसी भी पक्षी अभयारण्य में कोई वृक्ष नहीं लगाया गया था। यद्यपि, वर्ष 2015-17 की अवधि के दौरान तीन³⁸ पक्षी अभयारण्यों में 2,350 वृक्ष लगाए गये थे, वे पक्षियों के घोंसला और बसेरा के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके।

विभाग, यह स्वीकार करते हुए कि पक्षी अभयारण्यों के लिए चयनित प्रजातियों के वृक्षारोपण की आवश्यकता थी, ने आश्वासन दिया कि पक्षियों के घोंसला एवं बसेरा के लिए भविष्य में वृक्षारोपण कार्यों को किया जाएगा।

- **पक्षी अभयारण्य की सुरक्षा**

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पाँच पक्षी अभयारण्यों में से किसी में भी गश्त प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं थी और निधि की अपर्याप्तता एवं संबंधित प्रमंडलों में क्षेत्र कर्मियों की कमी के कारण सर्दियों के मौसम में अप्रशिक्षित आकस्मिक मजूदरों को चौकीदार के रूप में तैनात किया गया था।

- **अभयारण्य क्षेत्रीय समीपता**

सलीम अली जुब्बा सहनी (बरैला) झील का कुल अधिसूचित क्षेत्र (1.98 वर्ग कि०मी०) 21 गैर-निरंतर भाग में फैले हुए थे और आठ गाँवों से चारों ओर से घिरे हुए थे जिसने वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन को प्रभावित किया। अभयारण्य की क्षेत्रीय समीपता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए विभाग (मार्च 2017) द्वारा किसी भी योजना पर विचार नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि कुछ क्षेत्रों को एक या सर्वोत्तम के रूप में अभयारण्य की सीमा को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। हालांकि, विभाग ने मामले के विचाराधीन होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया और तथ्य बनी हुई है कि अधिसूचना के 20 वर्षों के बाद भी अभयारण्य के क्षेत्रीय समीपता को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

- **पक्षी अभयारण्यों के लिए भूमि का गैर-अधिग्रहण**

वन्यजीव अभयारण्यों के लिए अधिसूचित भूमि अधिग्रहण करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए समाहर्त्ता³⁹ प्राधिकृत⁴⁰ है। आगे, मुख्य वन्यजीव वार्डन को अभयारण्यों के अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण को सुनिश्चित करना था।

³⁸ बरैला: वर्ष 2016-17 में 1,000; नागी डैम: वर्ष 2015-16 में 1,250 और नक्ती डैम: वर्ष 2016-17 में 1,000

³⁹ भूमि-अधिग्रहण के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

⁴⁰ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-25

कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य का संपूर्ण अधिसूचित भूमि अधिसूचना (वर्ष 1994) के बावजूद भी स्थानीय लोगों के स्वामित्व में था।

राज्य में पाँच पक्षी अभयारण्यों में से, यह देखा गया कि दो अभयारण्यों में अधिसूचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य का संपूर्ण अधिसूचित क्षेत्र (29.22 वर्ग कि०मी०), इसकी अधिसूचना (वर्ष 1994) के बाद से स्थानीय लोगों के स्वामित्व में था क्योंकि विभाग ने अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण (मई 2017) के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया। अधिसूचित भूमि का उपयोग



कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य में कृषि

कृषि के लिए किया जा रहा था क्योंकि इस पर स्थानीय लोगों का स्वामित्व था तथा वनस्पति और जीव के लिए संरक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

इसी प्रकार, कांवर झील पक्षी अभयारण्य में, 63.12 वर्ग कि०मी० की अधिसूचित (जून 1989) भूमि में से, सिर्फ 6.18 वर्ग कि०मी० (10 प्रतिशत) विभाग के नियंत्रण में था। आगे देखा गया कि बिहार राज्य वन्यजीव संस्थान ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ भूमि विवादों के गैर-निपटान के कारण अभयारण्य के क्षेत्र को 30 वर्ग कि०मी० कम करने का फैसला किया था (अप्रैल 2017)।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति (दिसम्बर 2017) व्यक्त की और कहा कि उनके क्षेत्रों और सीमाओं का युक्तिकरण नहीं किया जा सका क्योंकि ये पक्षी अभयारण्य गहन आबादी वाले कृषि भूमि के अंदर स्थित था।

2.11.1 आर्द्रभूमि संरक्षण

राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत, दो प्रकार के कार्य अर्थात्, प्रबंधन कार्य योजना और आर्द्रभूमि⁴¹ के संरक्षण तथा न्यायिक उपयोग के लिए शोध परियोजनाओं, इनके आगे की अधोगति को रोकने के लिए कार्यान्वित किये जाने थे। हालांकि, इस कार्यक्रम को एक केन्द्र प्रायोजित योजना, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के साथ विलय (जनवरी 2013) कर दिया गया था।

राज्य में पाँच पक्षी अभयारण्यों में से, तीन⁴² पक्षी अभयारण्यों को प्रमुख आर्द्रभूमि के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, बरैला झील (वर्ष 2015-16) को छोड़कर वनस्पतियों और जीवों पर कोई शोध गतिविधि नहीं की गई थी। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार से ₹16 लाख की प्राप्ति (अगस्त 2012) के बावजूद विभाग (नवम्बर 2017) द्वारा दो आर्द्रभूमियों (कुशेश्वर स्थान और बरैला) का प्रबंधन कार्य योजना तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, आर्द्रभूमि को असाधारण जैविक⁴³ तथा अजैविक⁴⁴ दबाव का सामना करना पड़ा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (दिसम्बर 2017) के तहत राज्य में किसी भी कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था।

⁴¹ आर्द्रभूमि वहाँ पाये जाते हैं, जहाँ जल तालिका भूमि की सतह पर या उसके पास या जहाँ भूमि जलमग्न होती है।

⁴² कांवर झील पक्षी अभयारण्य, बेगूसराय; कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, दरभंगा; और सलीम अली जुब्बा सहनी बरैला पक्षी अभयारण्य, वैशाली।

⁴³ जैविक: जल का अभियंत्रित विस्तारण और बहाव, घास-फूस संक्रमण इत्यादि, वनस्पतियों और जीवों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

⁴⁴ अजैविक : अतिक्रमण के कारण क्षेत्र का संकोचन, मानवजनित दबाव के कारण आवास का विनाश और जैव-विविधता का नुकसान, जलविद्युत हस्तक्षेप के कारण जलवाही स्तर का नुकसान इत्यादि।

अनुशंसा: विभाग को पक्षी अभयारण्य में उचित संरक्षण और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए और क्षेत्रीय सान्निध्य को सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित भूमि का अर्जन या वैकल्पिक रूप से संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय से परामर्श करना चाहिए।

2.12 गंगा डॉल्फिन अभयारण्य का संरक्षण एवं सुरक्षा

विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य को गंगा डॉल्फिन के संरक्षण, वंश-वृद्धि और विकास



गंगा डॉल्फिन

के लिए अधिसूचित (1991) किया गया था। यह अभयारण्य भागलपुर जिला में गंगा नदी के लगभग 60 कि०मी० की दूरी तक फैला हुआ है। इसके अलावा, भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया (अक्टूबर 2009)। नवीनतम आकलन प्रतिवेदन (मई 2014) के अनुसार, डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में अधिकतम 127 गंगा डॉल्फिन को देखा

गया था। विभाग ने वर्ष 2012-17 के दौरान विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के प्रबंधन के लिए ₹43 लाख उपलब्ध कराया जिसके विरुद्ध सुरक्षा उपायों पर ₹30 लाख खर्च किए गए। विभाग द्वारा अभयारण्य के लिए अग्र पंक्ति के कर्मचारी का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया था और मुख्य वन्यजीव वार्डन, बिहार द्वारा प्रबंधन योजना को भी पूर्ण नहीं किया गया था (जुलाई 2017)।

गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कार्य योजना (वर्ष 2013) के अनुसार, पाँच प्रमुख गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाना था। इन गतिविधियों के विरुद्ध डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा में कमी देखी गई (जुलाई 2017), जिसे नीचे दिखलाया गया है:

• वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी

आकस्मिक कारणों की पहचान और सुधारात्मक उपाय करने के लिए विभाग द्वारा डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में नदी डॉल्फिन की मृत्यु दर पर कोई अध्ययन नहीं किया गया (अक्टूबर 2016), हालांकि कार्य योजना में विचार किया गया था। यद्यपि विभाग ने अभयारण्य पर अध्ययन के संचालन को एक महाविद्यालय के प्रोफेसर⁴⁵ को सौंपा (अक्टूबर 2016) था, यह प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त (जुलाई 2017) था। इस प्रकार गंगा नदी पर अभयारण्य क्षेत्र में इस प्रजाति के महत्वपूर्ण हिस्से⁴⁶ अज्ञात बने रहे।

• शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में पारंपरिक मछुआरे समुदायों और अन्य तटवर्ती समुदायों की भागीदारी डॉल्फिन संरक्षण के लिए आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने अभयारण्य क्षेत्र में कोई शिक्षा और जागरूकता अभियान नहीं चलाया। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान भी इसकी पुष्टि की गई थी।

⁴⁵ ₹0.87 लाख की कीमत पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

⁴⁶ वह हिस्सा जिसमें लम्बे समय तक जीवित रहने की क्षमता वाले स्वस्थ प्रजनन डॉल्फिन आबादी शामिल है।

● **नदी पर निर्भर समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा**

मछुआरे समुदाय मुख्य रूप से नदियों से पकड़ी गई मछलियों पर निर्भर है। उनके मछली पकड़ने के कई उपकरण डॉल्फिनों के लिए खतरा है। उनमें से कुछ तेल मत्स्य पालन का अभ्यास करते हैं, जिसमें मछली पकड़ने के लिए चारा के रूप में डॉल्फिन का तेल और मीट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, स्थानीय हितधारकों के लिए आजीविका सुरक्षा के प्रावधान डॉल्फिन संरक्षण के लिए आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मछुआरों को वैकल्पिक आजीविका अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा था। कम से कम 12⁴⁷ डॉल्फिन मित्रों के आवश्यकता के विरुद्ध, डॉल्फिन की देखभाल करने के लिए अभयारण्य क्षेत्र में केवल आठ डॉल्फिन मित्रों⁴⁸ की तैनाती की गई थी। अभयारण्य के (60 कि०मी०) विशाल विस्तार पर विचार करते हुए, इन डॉल्फिन मित्रों की तैनाती डॉल्फिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त थी। वर्ष 2014-17 के दौरान डॉल्फिनों की मृत्यु के छः मामले पाये गए, जिनमें से दो की मृत्यु जल की कमी के कारण हुई थी।

● **संरक्षित क्षेत्रों का सृजन/विस्तार**

गंगा डॉल्फिन 100 कि०मी० से अधिक के क्षेत्र में विचरते तथा फैलते हैं, विशेष रूप से बाढ़ के दौरान। अन्य मौसम में भी, ये विचरण करते हैं तथा फैलते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो लगभग 60 कि०मी० का केवल एक संरक्षित क्षेत्र है, इस प्रकार, डॉल्फिन अभयारण्य की लंबाई के विस्तार किये जाने की आवश्यकता थी, जैसा कि बिहार सरकार ने अपनी कार्य योजना में परिकल्पित किया। यद्यपि विभाग द्वारा आज तक (जुलाई 2017) इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया था।

● **डॉल्फिन और इनके आवास की सुरक्षा**

विभाग ने मछली पालन को सतत बनाने और डॉल्फिन तथा अन्य जलीय वन्यजीव के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार कोई मत्स्य प्रबंधन योजना तैयार नहीं किया था। लाभार्थी सर्वेक्षण/बातचीत के दौरान, स्थानीय मछुआरों ने सूचित किया कि क्षेत्र से बाहर के मछुआरों ने अभयारण्य क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए मच्छर-जाल का इस्तेमाल किया, जिसने गंगा डॉल्फिन के शिकार आधार को प्रभावित किया। यह दर्शाता है कि विभाग डॉल्फिन के संरक्षण के लिए मछली पकड़ने के हानिकारक विधि को रोकने में असमर्थ रहा।

आगे, भारत के जीवजंतु सर्वेक्षण के अनुसार, मछलियों के अस्तित्व के लिए जल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, जो गंगा डॉल्फिनों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः, जल गुणवत्ता का परीक्षण और प्रलेखीकरण वार्षिक रूप से किए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 1991 में डॉल्फिन अभयारण्य के आरंभ से, अभयारण्य क्षेत्र में गंगा नदी की जल गुणवत्ता का सिर्फ मई 2014 में, प्रबंधन योजना तैयार करते समय, विश्लेषण किया गया था। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, नदी के जल में आर्गेनोक्लोराइन के उच्च स्तर, भारी धातुओं और अन्य जहरीले रसायनों की मौजूदगी, अवसादों, कशेरुकी, मछली और डॉल्फिन के ऊतकों ने डॉल्फिन के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा किया। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे:

⁴⁷ संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित

⁴⁸ डॉल्फिन मित्र, स्थानीय मछुआरे हैं, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में सविदात्मक आधार पर संलग्न।

- (i) नदी के दोनों किनारों के पास के किसानों द्वारा उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। इन कृषि-रसायनों के अवशेषों का नदी के बहाव में प्रत्यक्ष रूप से फैलने के कारण नदी का रसायनिक प्रदूषण हुआ।
- (ii) शहरी बस्तियों से नदी में प्राकृतिक मल का निर्वहन, और
- (iii) नदी प्रवाह/गंगा नदी के साथ में ठोस अवशिष्टों को गिराना

विभाग ने डॉल्फिन अभयारण्यों (जुलाई 2017) के खतरों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं किया और कहा (दिसम्बर 2017) कि प्रबंधन योजना के अंतिम रूप देने और अनुमोदन के बाद, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

अनुशंसा: विभाग को गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

2.13 जंगली जानवरों के लिए चिकित्सा सुविधा

जंगली जानवरों के स्वास्थ्य की निगरानी और विभिन्न बीमारियों के उपचार वन्यजीव के अस्तित्व और संरक्षण के लिए अनिवार्य शर्त है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि न तो बिहार सरकार द्वारा पशु चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी गई, न ही 12 वन्यजीव अभयारण्यों में से किसी में कोई चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया गया। यह दर्शाता है कि वन्य जीवों को बिल्कुल कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। मृत्यु के मामले में, जंगली जानवरों की शवपरीक्षा को निकटतम शहर अस्पताल में तैनात पशु चिकित्सक द्वारा किया गया था।

यह देखा गया कि कुछ अज्ञात बीमारी ने राजगीर वन्यजीव अभयारण्य के वन्यजीव को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप 23 धब्बेदार मृगों (जून 2013) की मौत कुछ दिनों के अंदर हो गई। अभयारण्य में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकी। आगे, शव परीक्षण समय पर नहीं किया जा सका और मृत्यु के कारणों की पहचान नहीं की जा सकी।

विभाग ने स्वीकार (दिसम्बर 2017) किया कि पशु चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी और कहा कि बड़े वन्यजीव अभयारण्यों में पशु चिकित्सक उपलब्ध कराने और पशु चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

2.14 निगरानी और मूल्यांकन

2.14.1 अपर्याप्त निगरानी

बिहार वन नियमावली, वन सेवाओं के सभी अधिकारियों के लिए निगरानी कार्यक्रम अनुसूची⁴⁹ निर्धारित करता है और प्रत्येक अधिकारी को, संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निगरानी प्रतिवेदन जमा करना है।

वन्यजीव अभयारण्यों का निरीक्षण/निगरानी प्रतिवेदन किसी भी नमूना-जाँचित प्रमंडलीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं था, जिसके अभाव में निगरानी अनुसूची के अनुपालन का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

⁴⁹ अधिकारियों की निरीक्षण अनुसूची इस प्रकार हैं:

वन संरक्षक: एक महीना में कम से कम दस दिन, प्रमंडलीय वन पदाधिकारी: (1) नवम्बर से जून—एक महीना में 14 से 15 दिन (2) अन्य महीने में—एक महीना में पाँच से छः दिन, अपर वन संरक्षक: महीना में कम से कम 15 दिन

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2017) कि तीन वन्यजीव अभयारण्यों (वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व, भीमबांध और कैमूर) के निरीक्षण/निगरानी को उच्चतर अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया गया और अधिकारियों को भविष्य में उचित प्रलेखीकरण को आश्वस्त करने के लिए निर्देश दिया जाएगा।

2.14.2 राज्य वन्यजीव बोर्ड के बैठकों की अपर्याप्तता

वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य वन्यजीव बोर्ड की दस बैठकों के आवश्यकता के विरुद्ध, सिर्फ दो बैठकों का आयोजन किया गया।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के भाग-6 के अनुसार, राज्य सरकार, वन्यजीव के सुरक्षा और संरक्षण के लिए नीतियों को तैयार करने में शासन को परामर्श देने के लिए, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 के आरंभ की तिथि से छः महीने की अवधि के अंदर एक राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन करेगा।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड को एक वर्ष में कम से कम दो बैठक करना चाहिए। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान, राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिर्फ दो बैठकों (जनवरी 2013 और जून 2015) का आयोजन किया गया। 27 बैठकों के आवश्यकता के विरुद्ध सिर्फ सात (26 प्रतिशत) बैठकों का आयोजन राज्य वन्यजीव बोर्ड के गठन के समय से किया गया। राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठकों की अपर्याप्तता ने वन्यजीव के सुरक्षा और संरक्षण के लिए नीति तैयारी में कमी/अभाव को इंगित किया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने आश्वस्त किया कि राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठकों जैसा कि निर्धारित है, के आयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

अनुशंसा: विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा और संरक्षण नीतियों के निर्माण के लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड की आवधिक बैठक आयोजित किए जायें।

2.15 निष्कर्ष

वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व और अन्य अभयारण्यों के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि यह मानवबल, निधियों के प्रबंधन, संरक्षण के प्रयासों और निगरानी में कमियों से ग्रस्त है। मानवबल के गंभीर कमी ने वन्यजीव अभयारण्यों में संरक्षण और सुरक्षा उपायों को प्रभावित किया।

राज्य में 12 अभयारण्यों में से, नौ अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजनाओं को विभाग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इस प्रकार जंगली जानवरों, पक्षियों तथा गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, सुरक्षा एवं संरक्षण तथा स्थल विशिष्ट इनपुट के आवश्यकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। प्रबंधन योजना के अभाव में, राज्य नौ अभयारण्यों के लिए केन्द्रीय सहायता से वंचित था।

वर्ष 2012-17 के दौरान वन्यजीव अभयारण्यों में जंगली जानवरों (व्याघ्र को छोड़कर) सहित लुप्तप्राय/खतरे के नजदीक प्रजातियों के आबादी का आकलन नहीं किया गया था। विभाग ने वन्यजीव अभयारण्यों में मानवजनित दबाव को कम करने के लिए कोई योजना नहीं बनाया था, इस तथ्य के बावजूद कि गाँव या तो मुख्य क्षेत्र से घिरे थे या मुख्य क्षेत्र में स्थित थे। दो पक्षी अभयारण्यों (कांवर झील और कुशेश्वर स्थान) में विभाग द्वारा अधिसूचित भूमि का अर्जन नहीं किया गया था। पक्षी अभयारण्य और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में किए गए संरक्षण उपाय महत्वहीन थे। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में सुरक्षा उपाय अपर्याप्त थे और चार वन्यजीव अभयारण्यों में पूरी तरह से अनुपस्थित थे।



अध्याय-III
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

शिक्षा विभाग

3.1 श्रम उपकर की कटौती नहीं किए जाने के कारण अधिक भुगतान एवं दायित्व का सृजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा श्रम उपकर की कटौती नहीं किये जाने के कारण विद्यालय शिक्षा समिति को ₹82.10 करोड़ का अधिक भुगतान और दायित्व का सृजन हुआ।

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1996 में अधिसूचित भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम एवं परिणामी बिहार सरकार के दिनांक 18 फरवरी 2008 के अधिसूचना के अनुसार, निर्माण कार्यों में संलग्न सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को अभिकरणों के विपत्रों की राशि का एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर की कटौती करनी थी और उसे कटौती के 30 दिनों के अंदर रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (कल्याण बोर्ड) के खाते में प्रेषित करना था।

लेखापरीक्षा जाँच में उद्घटित हुआ कि बिहार में वर्ष 2010–2017 के दौरान 38 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (जि0का0प0), सर्व शिक्षा अभियान ने निर्माण कार्यों पर ₹8,350.29 करोड़ का भुगतान किया। जबकि, ₹83.50 करोड़ के श्रम उपकर के विरुद्ध जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों ने कार्यान्वित अभिकरणों (विद्यालय शिक्षा समितियों) के विपत्रों से मात्र ₹1.40 करोड़ की कटौती की थी, जिसे कल्याण बोर्ड को प्रेषित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्यान्वित अभिकरणों को अधिक भुगतान एवं कल्याण बोर्ड के लिए ₹82.10 करोड़ के दायित्व का सृजन हुआ। विवरण **परिशिष्ट-3.1** और **परिशिष्ट-3.2** में दिया गया है।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि0शि0प0प0) ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को श्रम उपकर की शेष राशि की गणना, कटौती एवं प्रेषण के लिए निर्देश (जुलाई 2017) जारी किया। आगे कहा (अगस्त 2017) कि उपकर का प्रावधान अनुसूचित दरों में किया गया था (15 जून 2011 से प्रभावी)। अतः श्रम उपकर की कटौती अनिवार्य थी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसके कटौती एवं कल्याण बोर्ड में जमा करने हेतु उत्तरदायी थे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया (जून 2017); स्मार-पत्रों (सितम्बर 2017 और जनवरी 2018) के बावजूद भी उनका जवाब अप्राप्त था।

श्रम संसाधन विभाग

3.2 अनुदान का अनियमित एवं अनधिकृत वितरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (भ0अ0स0क0) नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन (नि0से0श0वि0) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भवन निर्माण/मरम्मत तथा उपकरणों/साइकिलों के क्रय के लिए अनियमित रूप से ₹76.47 करोड़ अनुदान के रूप में वितरित किया।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा की शर्तों के विनियमन अधिनियम 1996, जो भारत सरकार द्वारा 1 मार्च 1996 को लागू किया गया, के अनुसार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अधिकृत किया गया।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि श्रम विभाग ने एक अनुदान योजना¹ शुरू किया (जुलाई 2011), जिसके विरुद्ध कल्याण बोर्ड ने 53,830 कर्मकारों को भवन निर्माण/मरम्मत एवं उपकरणों/साइकिलों² के क्रय हेतु ₹80.75 करोड़ का अनुदान वितरित किया (परिशिष्ट-3.3)। इस प्रकार का वितरण अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन है जो कि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अनुदान प्रावधानित नहीं करता था (अधिनियम में केवल भवन निर्माण हेतु ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी और इसमें उपकरणों तथा साइकिलों के क्रय के लिए न तो ऋण और न ही अनुदान शामिल था)।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2017) कि भ0अ0स0क0 (नि0से0श0वि0) नियमावली 2005 में उपर्युक्त अनुदान प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचना प्रकाशित³ की गई थी (सितम्बर 2016)। विभाग ने आगे कहा कि ऐसे अनुदान धारा 22 (1)(ज) के तहत था जो बोर्ड को ऐसे अन्य कल्याणकारी उपायों एवं सुविधाओं जैसा कि वर्णित हो, के संबंध में प्रावधान करने एवं सुधार हेतु प्राधिकृत करता है। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, चूंकि यह अनुच्छेद 22 (1)(ज) की दुर्व्याख्या है। आगे, वर्ष 2006 के रिट याचिका (सिविल) सं0 318 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया (23 सितम्बर 2015) कि अधिनियम के अधीन किसी भी उपकरण की राशि का संग्रहण और अधिनियम के धारा 22 के अधीन अधिदेशित प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनों के लिए किए गए उपयोग की राशि को राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रतिपूर्ति करना था एवं अनुपालन प्रतिवेदन मंत्रालय को भेजा जाना था। यह अभी तक किया जाना है।

¹ भवन निर्माण/मरम्मत के लिए (₹10000) और उपकरणों/साइकिलों के क्रय (₹5000) के लिए एक बार एकमुश्त राशि ₹15000 का अनुदान

² इसके विरुद्ध 50983 कर्मकारों को ₹76.47 करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2017) और शेष ₹4.28 करोड़ बोर्ड के खाते में पड़े हुए थे।

³ विधान सभा (दिसम्बर 2016) एवं विधान परिषद (दिसम्बर 2017) में रखा गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3.3 अधिक भुगतान

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ ने संवेदक को ₹8.47 करोड़ का अधिक भुगतान किया क्योंकि बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली 2005 और विश्व बैंक उधारकर्ताओं के दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक मूल्य परिवर्तन अनुच्छेद को अनुबंध में शामिल नहीं किया गया था।

बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली, 2005 (बि0वि0नि0) के नियम 30(viii)(क) और (viii) (घ) सह-पठित विश्व बैंक उधारकर्ताओं⁴ के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 2.24 एवं 2.25 प्रावधानित करते हैं कि खरीददार को मूल्य में आई कोई कमी का लाभ लेने हेतु अनुबंध में मूल्य समायोजन अनुच्छेद के रूप में एक प्रावधान डालना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि अनुबंध 18 माह से अधिक अवधि का हो तो उस अनुबंध में मूल्य समायोजन के प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए। आगे विश्व बैंक उधारकर्ताओं के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 2.24 एवं 2.25 के अनुसार असामान्य परिस्थितियों में ही आपूर्तिकर्ताओं या संवेदकों द्वारा प्रदत्त दस्तावेजी साक्ष्यों (वास्तविक अभिश्रवों सहित) के आधार पर ही संविदा दस्तावेजों में मूल्य समायोजन को शामिल किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता (का0अभि0), लोक स्वास्थ्य (लो0स्वा0) प्रमंडल, बिहारशरीफ के अंतर्गत विश्व बैंक सहायित⁵ निम्न-आय के राज्यों हेतु बिहार ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (बि0ग्रा0ज0स्व0परि-नि0आ0रा0) के अभिलेखों के जाँच में उद्घटित हुआ कि मुख्य अभियंता, लो0स्वा0अ0वि0, पटना क्षेत्र ने सिलाव बहु-ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के रूपांकन, प्रवर्तन एवं रखरखाव, जिसमें सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दो लगातार वर्षों के लिए मूल्य परिवर्तन का प्रावधान भी शामिल था, के लिए ₹58.12 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (त0स्वी0) प्रदान किया था (अक्टूबर 2013)। ₹73.22 करोड़⁶ पर जो कि त0स्वी0 से 25.97 प्रतिशत अधिक दर पर था। अनुबंधित अभिकरण के साथ एकरारनामा कार्यान्वित किया गया (20 अगस्त 2014) तथा कार्य अगस्त 2017 तक पूर्ण किया जाना था।

कार्य से संबंधित अभिश्रवों एवं स्थल लेखाओं की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि अभिकरण ने डी0आई0 स्पन पाइप के-7 का उपयोग किया था, जिसकी दरें तकनीकी स्वीकृति में अनुमोदित दरों से कम थी। जबकि, विश्व बैंक उधारकर्ताओं के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों एवं बि0वि0नि0 में प्रावधानित किए जाने के बावजूद भी प्रमंडल ने पाइपों के मूल्य को सामंजित नहीं किया और ₹40.10 करोड़ का भुगतान अभिकरण को प्राक्कलन के दर पर कर दिया (मार्च 2017 तक)। आपूर्ति किए गए पाइपों के मूल्य में कुल अंतर ₹8.47 करोड़ था, जो तालिका 3.1 में वर्णित है:-

⁴ आई0बी0आर0डी0 ऋण और आई0डी0ए0 जमाधन एवं अनुदान के तहत विश्व बैंक उधारकर्ताओं द्वारा सामग्रियों, कार्यों की अधिप्राप्ति और गैर परामर्शी सेवाएँ।

⁵ यह योजना अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आई0डी0ए0) के जमाधन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो विश्व बैंक के रियायती ऋण शाखा है।

⁶ विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना होने के कारण विभाग ने विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) मांगा और एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति ने दर को मंजूरी दिया।

तालिका-3.1: एजेंसी को अधिक भुगतान

क्रम सं०	पाइपों का व्यास मि०मी० में	माप पुस्त के आधार पर आपूर्ति मात्रा (मीटर में)	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार दर (₹ प्रति मीटर में)	अनुबंध के अनुसार दर (कॉलम 4x25.97 प्रतिशत प्रति मी० में)	उपरिव्यय एवं संवेदक का लाभ ⁷ पर 10 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात बीजकों का दर (₹ प्रति मीटर में)	दर का अन्तर	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8 (7x3)	
1	400	20,552.50	4,411.80	5,557.54	3,893.96	1,663.58	3.42	
2	350	3,360.00	3,671.94	4,625.54	3,237.34	1,388.20	0.47	
3	300	2,327.00	2,940.06	3,703.59	2,539.29	1,164.30	0.27	
4	250	4,926.00	2,316.48	2,918.07	1,984.40	933.67	0.46	
5	200	14,735.00	1,759.02	2,215.84	1,500.40	715.44	1.05	
6	150	19,342.00	1,386.24	1,746.25	1,210.00	536.25	1.04	
7	100	7,324.00	940.50	1,184.75	865.80	318.95	0.23	
8	080	36,087.00	929.10	1,170.39	747.66	422.73	1.53	
कुल								8.47

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार (विभाग) ने कहा (सितम्बर 2017) कि अनुबंध के अनुसार ही राशि का भुगतान किया गया और एजेंसी द्वारा कम दर पर पाइप की खरीद, जैसा कि अभिश्रव में दर्शाया गया है, संबंधित अनुबंध से कोई लेना-देना नहीं है। अतः किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित डी०आई० पाइपों का मूल्य अभिश्रवों में वर्णित मूल्यों से बहुत अधिक था। कार्य में उपयोग किये जाने वाले पाइपों के मूल्यों की बढ़ोतरी के मद्देनजर सशक्त समिति ने भी बीड को स्वीकृत प्राक्कलन से 25.97 प्रतिशत अधिक पर अनुमोदित किया था।

अतः बिहार वित्तीय नियमावली के मूल्य भिन्नता से संबंधित अनुच्छेद में दिये गये मूल्य भिन्नता संबंधित प्रावधानों तथा विश्व बैंक उधारकर्ताओं से संबंधित दिशा-निर्देशों को समझौते में शामिल नहीं किये जाने के कारण प्रमंडल पाइपों के वास्तविक लागत के आधार पर संवेदक के भुगतान को सीमित नहीं कर सका, जिससे ₹8.47 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

⁷ उपरिव्यय और संवेदकों के मुनाफे 2012 के दरों की अनुसूची में प्रति 10 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराया गया, जो संचयी रूप से 21 प्रतिशत है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3.4 जमानत जमा-राशि और असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली न होना तथा जोखिम एवं लागत राशि की वसूली न होने के कारण अतिरिक्त भार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जमानत जमा-राशि तथा असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम ₹1.43 करोड़ एवं अपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक अंतर राशि ₹10.05 करोड़ की वसूली करने में असफल रहा।

मानक निविदा दस्तावेज (मा0नि0द)⁸ का उपबंध 14 यह विदित करता है कि अनुबंध रद्द होने की स्थिति में अपूर्ण कार्य संवेदक के जोखिम एवं लागत से पूर्ण की जाएगी। कार्य पूर्णता में सरकार द्वारा किया गया अथवा किया जाने वाला अतिरिक्त व्यय अथवा सरकार को अधिक हानि या क्षति की वसूली निविदा के प्रावधान के अनुसार संवेदक को देय राशियों से अथवा स्वयं संवेदक से की जायेगी।

विभागीय लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों⁹ के अभिलेखों के नमूना-जाँच से प्रकट हुआ कि मुख्य अभियंता (मु0अभि0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो0स्वा0अभि0वि0) ने बिहार के 12 जिलों¹⁰ के ग्रामीण क्षेत्रों के 270 लघु जलापूर्ति योजना (ल0ज0यो0) का रूपांकन, निर्माण एवं चालू करने का कार्य विद्युत मोटर पम्प के साथ कुल राशि ₹41.53 करोड़¹¹ में टर्नकी आधार पर एक एजेंसी¹² को आवंटित (जनवरी 2011) किया। लो0स्वा0अभि0वि0 की ओर से लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर एवं एजेंसी के बीच सभी 12 जिलों में जनवरी 2012 तक कार्य पूरा करने हेतु एकरारनामा (जनवरी 2011) किया गया।

कार्यों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एजेंसी द्वारा केवल 183 योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें 26 को पूर्ण किया गया, वहीं 157 योजनाएं आंशिक रूप से किये गये। शेष 87 योजना पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इस प्रकार, 244 योजनाओं पर या तो कार्य प्रारंभ नहीं किया गया या पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता के स्मार-पत्रों (अक्टूबर 2012 एवं नवम्बर 2012) के बावजूद भी, एजेंसी ने कार्य में प्रगति लाने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाया। कार्य की धीमी प्रगति के कारण विभाग द्वारा एकरारनामा निरस्त (अक्टूबर 2014) कर दिया गया एवं ₹83.06 लाख की जमानत जमा-राशि की जब्ती का आदेश दिया (अक्टूबर 2014), जिसे, हालांकि किया नहीं जा सका क्योंकि जमानत जमा-राशि के विरुद्ध बैंक गारंटी तिथिवाद (सितम्बर 2014) हो चुकी थी।

बाद में, विभाग के निर्देशों (अक्टूबर 2014) के आलोक में संबंधित प्रमंडलों ने 93 योजनाओं के लिए निविदा (प्रमंडल-वार) जारी किया तथा विभिन्न एजेंसियों को शेष कार्य आवंटित किया। बचे हुए 151 योजनाओं¹³ पर कार्यों का कार्यान्वयन स्थगित रखा गया।

⁸ बिहार सरकार के संकल्प (मार्च 2008) के अनुसार ₹दो करोड़ से अधिक राशि का अनुबंध मानक निविदा दस्तावेज (मा.नि.द.) पर किया जाएगा।

⁹ अररिया, बेतिया (प. चम्पारण), दरभंगा, ढाका (पूर्वी चम्पारण), गोपालगंज, खगड़िया, मधुबनी, मोतिहारी, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल।

¹⁰ अररिया (20), दरभंगा (25), पूर्वी चम्पारण (40), गोपालगंज (20), खगड़िया (15), मधुबनी (25), पूर्णिया (25), सहरसा (15), समस्तीपुर (25), शिवहर (20), सुपौल (15), पश्चिम चम्पारण (25)।

¹¹ ₹15.38 लाख प्रति योजना।

¹² मे0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0।

¹³ कुल 270 योजना - पूर्ण 26 योजना = 244 योजना; 244 अपूर्ण योजना - 93 निविदा किए गए योजना = 151 योजना।

इसके परिणामस्वरूप 244 योजनाओं के पूर्णता में ₹10.05 करोड़¹⁴ (परिशिष्ट-3.4 एवं 3.5) के अतिरिक्त दायित्व का सृजन हुआ।

विभाग ने कहा (जनवरी 2018) कि एजेंसी के साथ एकरारनामा निरस्त करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि बीड जमानत जमा एवं असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम की राशि की वसूली की जाएगी तथा कंपनी को पाँच वर्षों के लिए काली सूची में डाला जाएगा। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य समाप्ति की नियत तिथि के पाँच वर्ष से ज्यादा होने एवं अनुबंध के निरस्तीकरण के तीन वर्ष बाद भी, विभाग ₹1.43 करोड़¹⁵ की जमानत जमा-राशि और असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम तथा अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु अंतर राशि ₹10.05 करोड़ की वसूली करने में असफल रहा। इसलिए यह अस्पष्ट है कि विभाग बीड जमानत जमा और असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली कैसे प्रस्तावित करेगा।

वित्त विभाग

3.5 अधिभार के भुगतान के कारण परिहार्य अधिक व्यय

वित्त विभाग ने पावर फैक्टर सीमाओं के अतिक्रमण से बचने के लिए कैपेसिटर का अधिष्ठापन न करने के कारण अधिभार के रूप में ₹1.91 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय किया।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) के आदेश (दिसम्बर 2007) के संदर्भ में, आयोग के प्रासंगिक टैरिफ आदेश और उपभोक्ता एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी0एस0ई0बी0) तथा इसकी उत्तराधिकारी संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में, उच्च शक्ति (एच0टी0) उपभोक्ताओं को 90 प्रतिशत या अधिक का औसत पावर फैक्टर बनाए रखने की आवश्यकता थी, ऐसा न कर पाने पर अधिभार के माध्यम से जुर्माना लगाया जाना था। जिसके लिए उपभोक्ताओं को अपने खर्च पर अधिक पावर फैक्टर सीमाओं को कायम रखने के लिए कैपेसिटर¹⁶ (बिजली खपत को नियंत्रित करने वाला उपकरण) का अधिष्ठापन करना था।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के लेखाओं के जाँच में उद्घटित (अप्रैल 2016) हुआ कि विभाग (एक एच0टी0 उपभोक्ता जिसमें 1500 के0वी0ए0 का भार है) ने अप्रैल 2012 से मार्च 2016 तक 1684.80 के0वी0ए0आर0¹⁷ के कैपेसिटर स्थापित नहीं करने के कारण औसत पावर फैक्टर को नहीं बनाए रखा। परिणामस्वरूप, उक्त अवधि में विभाग ने 48 विपत्रों के मामले में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)¹⁸ को अधिभार के रूप में ₹1.91 करोड़¹⁹ का भुगतान किया। अगर विभाग ने पहले ही कैपेसिटर अधिष्ठापन किया होता तो इस अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

¹⁴ 157 योजनाओं के लिए ₹7.04 करोड़ + 87 योजनाओं के लिए ₹3.01 करोड़ = ₹10.05 करोड़

¹⁵ जमानत जमा; ₹83.06 लाख और असमायोजित मोबिलाईजेशन अग्रिम: ₹59.85 लाख

¹⁶ कैपेसिटर संबद्ध मोटर या बिजली परिपथ में समानांतर जोड़ा जाना चाहिए तथा उपकरण वितरण बोर्ड पर लागू किया जा सकता है या औसत पावर फैक्टर का बनाए रखने एवं ग्रिड को स्थिर रखने के लिए अधिष्ठापन के स्रोत पर

¹⁷ अधिष्ठापित किए जाने वाले कैपेसिटर का कुल लागत विद्यमान बाजार मूल्य के अनुसार ₹4.37 लाख (₹220 प्रति के0वी0ए0आर0 के दर पर + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0) था


¹⁸ एस0बी0पी0डी0सी0एल0 भूतपूर्व बी0एस0ई0बी0 के उत्तराधिकारी संगठनों में से एक है

¹⁹ ₹0.48 करोड़ (वर्ष 2012-13), ₹0.52 करोड़ (वर्ष 2013-14), ₹0.36 करोड़ (वर्ष 2014-15) और ₹0.55 करोड़ (वर्ष 2015-16)

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और बताया (जून 2017) कि तकनीकी सूचनाओं के अभाव में कैपेसिटर का अधिष्ठापन नहीं किया गया था। आगे बताया गया कि इस मामले में ऊर्जा विभाग ने न सूचित किया न ही कोई कार्रवाई की। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रासंगिक आदेशों तथा अनुबंधों के अनुसार और जैसा मुख्य अभियंता (व्यवसायिक) एस0बी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा दोहराया गया (अगस्त 2017) कि ये उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि औसत पावर फैक्टर को बनाये रखने के लिए अपने खर्च पर कैपेसिटर का अधिष्ठापन करे।


इस प्रकार, विभाग द्वारा कैपेसिटर का अधिष्ठापन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप अधिभार के रूप में ₹1.91 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

पटना
दिनांक: 2 नवम्बर 2018


(नीलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 12 नवम्बर 2018


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: कंडिका-1.3.; पृष्ठ-2)
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य प्रक्षेत्र			सामाजिक प्रक्षेत्र			आर्थिक प्रक्षेत्र		
	नि० प्र० की सं०	कंडिकाओं की सं०	राशि	नि० प्र० की सं०	कंडिकाओं की सं.	राशि	नि० प्र० की सं०	कंडिकाओं की सं.	राशि
2008-09	125	424	202.34	458	2,981	3,631.16	340	1,905	2,594.76
2009-10	90	388	368.90	550	3,093	6,201.27	357	1,822	1,763.32
2010-11	85	315	553.49	485	2,550	7,859.02	261	1,295	4,895.21
2011-12	3	15	10.12	83	569	7,132.96	83	536	11,967.18
2012-13	51	393	3,015.98	441	2,690	31,795.40	98	695	7,328.31
2013-14	154	1,150	1,611.16	549	3,300	16,018.60	169	1,168	16,840.80
2014-15	151	794	5,507.82	529	3,526	11,870.35	223	1,434	24,962.54
2015-16	190	976	1,955.32	583	4,405	13,989.42	188	1,293	11,011.16
2016-17	100	661	5,102.62	211	1,892	8,266.25	81	518	8,038.42
कुल	949	5,116	18,327.75	3,889	25,006	1,06,764.43	1,800	10,666	89,401.70

परिशिष्ट-1.2
(संदर्भ: कंडिका-1.3; पृष्ठ-2)
निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंधित कंडिकाओं में अनियमितताओं के विभिन्न प्रकार

वर्ष	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		लेखापरीक्षा में पाए गए घोखाघड़ी/ दुर्विनियोजन/गबन/हानि	लेखापरीक्षा में पाए गए वसूली एवं अधिक भुगतान के मामले	संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित लाभ	परिहार्य/अधिकाई व्यय	व्यर्थ/निरर्थक व्यय	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किए गए व्यय	एक योजना से दूसरे या एक शीर्ष से दूसरे में निधियों का विचलन	निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का एक साथ आहरण	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिबंध लगा दिए गए वस्तुओं या विशेष प्रकृति की वस्तुओं पर व्यय	निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए वास्तविक जरूरत से अधिक भंडार/गोदाम का क्रय	धन का निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/ निधियों का अवरोधन	निष्क्रिय कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान	उपकरणों की अधिष्ठापना में देरी/निष्क्रिय उपकरण और तत्संबंधी परिणाम	उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि/निष्फल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएँ
2008-09	923	119	330	108	86	318	39	222	3	4	12	330	17	5	218	3,499	5,310
2009-10	997	154	297	164	141	314	48	234	3	3	1	292	25	21	311	3,295	5,303
2010-11	831	57	315	66	84	216	19	164	1	6	16	242	19	17	244	2,694	4,160
2011-12	169	9	62	51	20	53	6	25	2	0	4	70	5	2	78	733	1,120
2012-13	590	21	197	85	206	183	51	128	8	28	9	286	25	36	220	2,294	3,777
2013-14	872	102	213	145	233	291	43	119	13	74	13	439	34	40	324	3,535	5,618
2014-15	903	129	369	211	187	248	34	112	12	7	13	462	11	32	314	3,614	5,755
2015-16	961	58	275	207	324	400	114	207	25	12	62	539	17	23	445	3,966	6,674
2016-17	392	5	62	147	153	241	51	113	15	11	26	257	8	10	246	1,726	3,071
कुल	6,638	654	2,120	1,184	1,434	2,264	405	1,324	82	145	156	2,917	161	186	2,400	25,356	40,788

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कडिका-1.8; पृष्ठ-5)

राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखापरीक्षा सौंपे जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लेखों का प्रस्तुतीकरण		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन		विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	टिप्पणी
			लेखों का वर्ष	दिनांक	लेखों का वर्ष	दिनांक		
1	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2014-15	1/7/2016	2014-15	14/6/2017	2014-15 तक वर्ष 2015-16 से प्रमाणित वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।	
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2015-16 तक	2011-12	3/4/2014	2008-09 तक	27/8/2014	विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया	वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक की अवधि के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2012-13 से प्रमाणित वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।
3	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10	2009-10	12/9/2013	2009-10	21/4/2014	2001-02 तक	वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा सौंपा नहीं गया है और प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में लेखापरीक्षा वर्ष 2003-04 से 2009-10 तक की अवधि के लिए धारा 19 (3) के तहत सौंपा गया था।
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2010-11 ¹	2012-13 2013-14	21/6/2016	2012-13 2013-14	26/7/2017	2011-12 तक	वर्ष 2010-11 तक के लिए लेखापरीक्षा नवम्बर 2006 में सौंपा गया। लेखापरीक्षा सौंपने का कार्य मार्च 2016 में विस्तारित किया गया। हालांकि, सौंपे जाने की अवधि का उल्लेख पत्र में नहीं किया गया है और प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। विश्वविद्यालय को 7 अक्टूबर 2016 से डॉ राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है।
5	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2014-15	2013-14	13/7/2015	2012-13 2013-14	28/10/2016	2013-14 तक	वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा सौंपा नहीं गया है और प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुमोदित वार्षिक लेखे को मांग की गई है, जो अभी तक अप्राप्त है।

¹ लेखापरीक्षा सौंपने की अवधि का उल्लेख किए बिना सौंपने का कार्य मार्च 2016 में विस्तारित किया गया।

परिशिष्ट-2.1
(संदर्भ: कडिका-2.1; पृष्ठ-7)
बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य

क्रम सं.	अभयारण्य	अभयारण्य का नाम	अधिसूचना की तिथि	अधिसूचित क्षेत्र (वर्ग कि०मी० में)	संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी
1	वन्यजीव अभयारण्य	भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य	27/5/1976	680.94	मुंगेर
2		गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य	14/9/1976	138.34	गया
3		कैमूर वन्यजीव अभयारण्य	25/7/1979 एवं 20/4/2010	1,515.53	कैमूर (986.44 वर्ग कि०मी०) एवं रोहतास (529.09 वर्ग कि०मी०)
4		राजगीर वन्यजीव अभयारण्य	25/5/1978	35.84	नालन्दा
5		उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य	5/5/1978	8.87	बेतिया
6		वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान (आगे, वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान सहित वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व)	10/5/1978 एवं 6/9/1990 (880.78 वर्ग कि०मी०) 5/12/1990 (335.64 वर्ग कि०मी०) एवं 26/11/2013 (वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान सहित कुल क्षेत्र = 898.93 वर्ग कि०मी०)	898.93	वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व सं.1 एवं वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व सं.2
कुल				3,278.45	
1	पक्षी अभयारण्य	बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य	28/1/1997	1.98	वैशाली
2		कांवर झील पक्षी अभयारण्य	20/6/1989	63.12	बेगूसराय
3		कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य	5/7/1994	29.22	मिथिला
4		नागी डैम पक्षी अभयारण्य	27/7/1987	1.92	जमुई
5		नक्ती डैम पक्षी अभयारण्य	22/7/1987	3.33	
कुल				99.57	
कुल योग				3,378.02	
1	डॉल्फिन अभयारण्य	विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य	7/8/1991	गंगा नदी के 60 कि०मी० का फैलाव	भागलपुर

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कंडिका-2.8.1; पृष्ठ-14)

वर्ष 2012-17 के दौरान 12 वन्यजीव अभयारण्यों के आवंटन एवं व्यय

(अ) वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व का आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन एवं व्यय	के.प्रा.यो.* (व्याघ्र परियोजना)	13वां वित्त आयोग	राज्य योजना	राज्य गैर-योजना	कोश	सी.ए. एम.पी.ए.	कुल
2012-13	आवंटन	4.40	0	0	5.38	1.50	0	11.28
	व्यय	4.34	0	0	5.29	1.50	0	11.13
2013-14	आवंटन	4.92	0	0	6.92	7.45	0	19.29
	व्यय	4.84	0	0	6.90	4.30	0	16.04
2014-15	आवंटन	4.71	0.13	2.63	5.31	6.07	1.40	20.25
	व्यय	4.64	0.13	2.63	5.26	4.70	0.01	17.37
2015-16	आवंटन	3.85	0	2.20	5.46	2.09	1.94	15.54
	व्यय	3.83	0	2.20	5.39	1.33	1.69	14.44
2016-17	आवंटन	9.83	0	5.20	5.92	2.74	1.08	24.77
	व्यय	9.61	0	5.20	5.92	1.94	1.00	23.67
कुल	आवंटन	27.71	0.13	10.03	28.99	19.85	4.42	91.13
	व्यय	27.26	0.13	10.03	28.76	13.77	2.70	82.65

(ब) पाँच अन्य वन्यजीव अभयारण्यों का आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वन्यजीव अभयारण्य का नाम	आवंटन / व्यय	के.प्रा.यो.*		राज्य योजना	कोश	सी.ए. एम. पी.ए.	कुल
		आई०डी० डब्ल्यू०एच०	आई०एफ०एम०				
भीमबंध	आवंटन	1.02	0.36	34.99	0.81	0	37.18
	व्यय	1.02	0.36	34.93	0.81	0	37.12
गौतम बुद्ध	आवंटन	0	0	0	0.57	0.05	0.62
	व्यय	0	0	0	0.54	0	0.54
कैमूर	आवंटन	4.17	0.51	52.01	2.64	0	59.33
	व्यय	3.94	0.51	51.98	2.56	0	58.99
राजगीर	आवंटन	0	0	0	1.75	0.25	2.00
	व्यय	0	0	0	1.40	0.23	1.63
उदयपुर	आवंटन	0	0	0	0.98	0	0.98
	व्यय	0	0	0	0.85	0	0.85
कुल	आवंटन	5.19	0.87	87.00	6.75	0.30	100.11
	व्यय	4.96	0.87	86.91	6.16	0.23	99.13

(स) पाँच अन्य पक्षी अभयारण्य एवं डॉल्फिन अभयारण्य का आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

अभयारण्य का नाम	आवंटन/ व्यय	के०प्रा०यो० ²	13वां वित्त आयोग	राज्य योजना	कोश	सी.ए.एम. पी.ए.	कुल
बरैला प०अ० ³	आवंटन	0	0	0	0.39	0	0.39
	व्यय	0	0	0	0.39	0	0.39
कांवर झील प०अ०	आवंटन	0	0.01	0.11	0.26	0.09	0.47
	व्यय	0	0.01	0.11	0.26	0.09	0.47
कुशेश्वर स्थान प०अ०	आवंटन	0	0	0	0.19	0.01	0.20
	व्यय	0	0	0	0.14	0.01	0.15
नागी डैम प०अ०	आवंटन	0	0	0	0.28	0	0.28
	व्यय	0	0	0	0.28	0	0.28
नक्ती डैम प०अ०	आवंटन	0	0	0	0.17	0	0.17
	व्यय	0	0	0	0.17	0	0.17
कुल प०अ०	आवंटन	0	0.01	0.11	1.29	0.10	1.51
	व्यय	0	0.01	0.11	1.24	0.10	1.46
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य	आवंटन	0	0	0.02	0.32	0.09	0.43
	व्यय	0	0	0.02	0.21	0.07	0.30

अ + ब + स का कुल योग— निधि का आवंटन: ₹193.18 करोड़ एवं व्यय: ₹183.54 करोड़

(स्रोत: वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों का नमूना—जाँच)

² केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना³ संबंधित प्रमंडल के द्वारा वर्ष 2012-14 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.1; पृष्ठ-33)

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि के दौरान तीन जिलों द्वारा किए गए वर्ष-वार व्यय और श्रम उपकरण की कटौती योग्य राशि (₹ लाख में)

क्रम सं.	जिला का नाम	विद्यालयों की संख्या	वर्ष-वार व्यय								कुल व्यय	एक प्रतिशत की दर से काटे जाने वाला श्रम उपकरण	कल्याण बोर्ड में जमा किया गया श्रम उपकरण	कटौती योग्य श्रम उपकरण
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12-13)	
1	मधेपुरा	926	0	173.84	1,128.78	5,312.20	1,872.34	3,434.08	1,154.36	13,075.60	130.76	0	130.76	
2	पटना	1272	0	10.43	816.51	4,288.77	2,928.01	2,921.20	2,486.23	13,451.14	134.51	0	134.51	
3	सुपौल	989	0	299.33	522.39	3,218.99	1,886.27	2,010.39	1,630.84	9,568.22	95.68	0	95.68	
	कुल	3187	0	483.60	2,467.68	12,819.96	6,686.62	8,365.67	5,271.43	36,094.96	360.95	0	360.95	

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कडिका-3.1; पृष्ठ-33)

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि के दौरान 35 जिलों द्वारा किए गए वर्ष-वार व्यय और श्रम उपकरण की कटौती योग्य राशि

(₹ लाख में)

क्रम सं०	जिला का नाम	वर्ष-वार व्यय										कुल व्यय	एक प्रतिशत की दर से काटे जाने वाला श्रम उपकरण	कल्याण बोर्ड में जमा किया गया श्रम उपकरण	कटौती योग्य श्रम उपकरण
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11-12)			
1	अररिया	1,657.76	3,148.07	4,379.37	10,792.97	1,864.81	3,127.52	2,206.45	27,176.94	271.77	0.00	271.77			
2	अरवल	275.40	1,618.26	2,330.36	741.20	892.22	147.41	59.23	6,064.08	60.64	0.00	60.64			
3	औरंगाबाद	3,689.54	9,020.65	5,615.73	5,580.55	2,470.88	4,607.17	1,201.89	32,186.41	321.86	24.31	297.55			
4	बांका	2,303.21	2,785.81	1,717.78	1,858.09	2,746.89	132.70	189.51	11,733.97	117.34	0.00	117.34			
5	बेगूसराय	1,890.35	5,555.74	10,101.14	1,610.70	3,122.61	897.91	511.31	23,689.77	236.90	0.00	236.90			
6	भागलपुर	1,008.42	3,097.33	2,382.59	4,001.23	2,317.24	3,731.77	2,156.04	18,694.62	186.95	0.00	186.95			
7	भोजपुर	2,909.82	4,403.13	3,585.09	2,121.78	3,174.27	618.13	290.50	17,102.72	171.03	8.32	162.71			
8	बक्सर	0.00	7,458.36	2,456.77	4,711.10	1,344.93	2,873.02	1,791.68	20,635.86	206.36	0.00	206.36			
9	दरभंगा	4,524.60	9,528.01	6,747.39	3,637.79	48.45	1,911.52	280.98	26,678.75	266.79	0.00	266.79			
10	पूर्वी चम्पारण	7,234.83	9,006.82	9,006.82	2,921.79	2,656.46	1,496.83	280.19	32,603.73	326.04	0.00	326.04			
11	गया	1,699.49	10,719.21	4,317.59	11,675.99	4,029.39	5,144.64	1,084.75	38,671.07	386.71	42.14	344.57			
12	गोपालगंज	6,106.31	4,932.75	5,761.14	8,381.34	5,668.31	2,492.17	1,506.82	34,848.84	348.49	0.00	348.49			
13	जहानाबाद	1,023.08	3,452.44	835.58	602.07	2,351.00	591.34	1,247.54	10,103.03	101.03	10.82	90.21			
14	जमुई	1,507.90	777.05	1,914.32	3,883.25	2,386.49	978.21	331.52	11,778.74	117.79	0.00	117.79			
15	कैमूर	837.51	6,019.80	3,187.25	3,823.92	1,809.99	1,163.18	351.26	17,192.91	171.93	0.00	171.93			
16	कटिहार	2,274.19	44.50	5,377.64	12,679.17	5,958.22	3,337.61	2,173.47	31,844.79	318.45	0.61	317.84			
17	खगड़िया	65.80	3,651.92	1,723.12	5,871.40	2,589.90	1,661.13	691.42	16,254.69	162.55	0.00	162.55			
18	किशनगंज	2,014.63	5,495.25	2,543.44	2,475.73	3,505.97	606.89	978.58	17,620.50	176.21	0.00	176.21			

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

क्रम सं०	जिला का नाम	वर्ष-वार व्यय										कुल व्यय	एक प्रतिशत की दर से काटे जाने वाला श्रम उपकर	कल्याण बोर्ड में जमा किया गया श्रम उपकर	कटौती योग्य श्रम उपकर				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	3	4	5					6	7	8	9
19	लखीसराय	0.00	3,568.58	1,460.75	2,380.63	1,149.00	3,229.50	336.28	12,124.75	121.25	0.00	121.25	121.25	0.00	121.25	121.25	0.00	121.25	121.25
20	मधुबनी	718.80	2,056.69	2,341.91	7,521.22	4,708.14	6,629.70	2,468.93	26,445.39	264.45	15.84	264.45	264.45	15.84	264.45	264.45	15.84	264.45	264.45
21	मुंगेर	809.27	2,168.98	1,696.01	3,074.02	768.32	1,911.74	652.71	11,081.04	110.81	0.00	110.81	110.81	0.00	110.81	110.81	0.00	110.81	110.81
22	मुजफ्फरपुर	1,313.26	6,346.71	3,861.49	8,453.76	3,613.61	5,832.62	1,957.56	31,379.01	313.79	0.00	313.79	313.79	0.00	313.79	313.79	0.00	313.79	313.79
23	नालंदा	1,415.85	0.00	4,438.79	5,801.19	3,335.79	5,932.20	570.18	21,493.98	214.94	0.00	214.94	214.94	0.00	214.94	214.94	0.00	214.94	214.94
24	नवादा	1,384.57	5,837.65	2,270.95	7,536.74	3,125.98	4,815.26	1,640.87	26,612.02	266.12	0.00	266.12	266.12	0.00	266.12	266.12	0.00	266.12	266.12
25	पूणिया	1,948.64	14,067.06	3,633.39	10,326.89	3,653.94	4,156.43	1,783.41	39,569.75	395.70	0.00	395.70	395.70	0.00	395.70	395.70	0.00	395.70	395.70
26	रोहतास	2,353.20	10,250.85	4,243.98	6,840.28	2,290.59	4,080.07	578.64	30,637.62	306.38	0.00	306.38	306.38	0.00	306.38	306.38	0.00	306.38	306.38
27	सहरसा	1,254.86	4,105.64	2,821.54	6,685.75	1,593.28	1,874.43	1,233.71	19,569.20	195.69	0.00	195.69	195.69	0.00	195.69	195.69	0.00	195.69	195.69
28	समस्तीपुर	3,878.07	4,231.73	17,364.04	2,720.25	5,294.01	1,119.18	489.50	35,096.79	350.97	1.52	350.97	350.97	1.52	350.97	350.97	1.52	350.97	350.97
29	सारण	0.00	1,201.92	1,963.46	13,686.82	2,481.19	11,225.14	1,659.21	32,217.74	322.18	1.88	322.18	322.18	1.88	322.18	322.18	1.88	322.18	322.18
30	शेखपुरा	537.94	2,748.74	489.37	168.20	720.82	306.58	41.57	5,013.23	50.13	0.00	50.13	50.13	0.00	50.13	50.13	0.00	50.13	50.13
31	शिवहर	298.81	344.35	245.59	1,384.04	766.98	1,050.25	848.76	4,938.78	49.39	0.00	49.39	49.39	0.00	49.39	49.39	0.00	49.39	49.39
32	सीतामढ़ी	1,679.67	2,725.97	3,552.12	7,682.31	4,284.12	5,999.47	2,282.04	28,205.72	282.06	0.00	282.06	282.06	0.00	282.06	282.06	0.00	282.06	282.06
33	सीवान	530.42	2,368.06	2,504.77	7,950.06	3,907.77	4,969.66	1,886.79	24,117.53	241.18	0.00	241.18	241.18	0.00	241.18	241.18	0.00	241.18	241.18
34	वैशाली	3,413.02	4,666.41	6,207.17	1,575.00	4,524.79	201.04	82.82	20,670.25	206.70	32.65	206.70	206.70	32.65	206.70	206.70	32.65	206.70	206.70
35	पश्चिम चम्पारण	2,232.58	10,628.47	3,919.48	8,094.25	4,027.70	4,961.74	1,011.59	34,875.80	348.76	2.13	348.76	348.76	2.13	348.76	348.76	2.13	348.76	348.76
	कुल	64,791.80	1,68,032.91	1,36,997.93	1,89,251.48	99,184.06	1,03,814.16	36,857.71	7,98,930.02	7,989.34	140.22	7,989.34	7,989.34	140.22	7,989.34	7,989.34	140.22	7,989.34	7,989.34

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.2; पृष्ठ-34)

श्रमिकों को वितरित किए गए अनुदान का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लाभार्थियों की सं. जिसके लिए बोर्ड द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया	कुल राशि स्वीकृत/स्थानांतरित	स्थानांतरण का तरीका	लाभार्थियों की सं० जिसको वास्तविक रूप से अनुदान वितरित हुआ	वास्तविक रूप से वितरित कुल राशि	बोर्ड/जिलों में शेष राशि	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7(3-6)	8
2011-12	9,718	14.58	चेक	8,560	12.84	1.74	₹0अ0नि0श्र0क0ब0 के बैंक खातों में शेष राशि का पड़ा होना।
2012-13	1,068	1.60	चेक	1,027	1.54	0.06	
2013-14	2,758	4.14	चेक	2,550	3.82	0.32	
2014-15	3,745	5.62	श्र0अ0 ⁴ गया को चेक	3,380	5.07	0.55	₹0अ0नि0श्र0क0ब0 के बैंक खातों में शेष राशि का पड़ा होना।
	23,752	35.63	जिलों को एन0ई0एफ0टी.	23,425	35.14	0.49	जिलों के श्र0अ0 द्वारा संधारित बैंक खाते में शेष राशि का पड़ा होना।
2015-16	979	1.47	श्र0अ0 को आर0टी0जी0एस0	801	1.20	0.27	₹0अ0नि0श्र0क0ब0 के बैंक खातों में शेष राशि का पड़ा होना।
	4,550	6.82	₹0अ0नि0श्र0क0ब0 ⁵ द्वारा लाभुक को एन0ई0एफ0टी0	4,131	6.20	0.62	जिलों के श्र0अ0 द्वारा संधारित बैंक खाते में शेष राशि का पड़ा होना।
2016-17	7,260	10.89	श्र0अ0 को आर0टी0जी0एस0 एवं श्र0अ0 द्वारा एन0ई0एफ0टी0	7,109	10.66	0.23	जिलों के श्र0अ0 द्वारा संधारित बैंक खाते में शेष राशि का पड़ा होना।
कुल	53,830	80.75		50,983	76.47	4.28	

⁴ श्रम अधीक्षक⁵ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका-3.4; पृष्ठ-37)

13 प्रमंडलों के जोखिम एवं लागत राशि

(₹ लाख में)

क्रम सं०	प्रमंडल का नाम	योजनाओं की सं.	एक कार्य हेतु अनुबंध की लागत	पुराने अनुबंध के अनुसार कुल लागत	पूर्व में किए गए कार्य का मूल्य	अधूरे कार्य का मूल्य	संशोधित प्राक्कलन के अनुसार वांछित कुल राशि	अंतर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5 (3*4)	6	7(5-6)	8	9 (8-7)	10
(i)	अररिया	13		199.94	12.14	187.80	232.83	45.03	
(ii)	बेतिया	6		261.46	114.13	147.33	49.27	114.38	
		11					212.44		
(iii)	दरभंगा	4		169.18	37.85	131.33	41.09	42.56	
		7					132.80		
(iv)	ढाका	9		215.32	50.14	165.18	153.53	82.55	
		5					94.20		चूंकि शेष कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत नहीं था, दर खगड़िया के संशोधित प्राक्कलन ₹18.84 लाख से ली गई थी।
(v)	गोपालगंज	9	15.38	169.18	52.73	116.45	317.23	213.06	
		2					12.28		
(vi)	खगड़िया	10		153.80	15.66	138.14	176.71	38.57	
(vii)	मधुबनी	13		199.94	7.39	192.55	153.85	-38.70	
(viii)	मोतिहारी	5		107.66	90.78	16.88	16.51	37.31	
		2					37.68		चूंकि शेष कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत नहीं था, दर खगड़िया के संशोधित प्राक्कलन ₹18.84 लाख से ली गई थी।

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	योजनाओं की सं.	एक कार्य हेतु अनुबंध की लागत	पुराने अनुबंध के अनुसार कुल लागत	पूर्व में किए गए कार्य का मूल्य	अधूरे कार्य का मूल्य	संशोधित प्राक्कलन के अनुसार वांछित कुल राशि	अंतर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5 (3*4)	6	7(5-6)	8	9 (8-7)	10
(ix)	पूर्णिया	10		153.80	40.81	112.99	174.99	62.00	
(x)	सहरसा	5		123.04	56.52	66.52	47.92	37.92	
		3	15.38				56.52		चूंकि शेष कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत नहीं था, दर खगड़िया के संशोधित प्राक्कलन ₹18.84 लाख से ली गई थी।
(xi)	समस्तीपुर	25		355.46	225.53	129.93	174.79	44.86	कुछ मदों की मात्रा में परिवर्तन के कारण पुराने अनुबंध की कुल लागत कम हो गई थी (कॉलम सं0 5)
(xii)	शिवहर	10		153.80	68.09	85.71	114.75	29.04	
(xiii)	सुपौल	8		123.04	54.48	68.56	64.33	-4.23	
	कुल	157		2,385.62	826.25	1,559.37	2,263.72	704.35	या
								7.04 करोड़	

परिशिष्ट-3.5
(संदर्भ: कंडिका-3.4; पृष्ठ-37)
शेष 87 कार्यों की जोखिम एवं लागत राशि

(₹ लाख में)

क्रम सं०	प्रमंडल का नाम	स्वीकृत इकाई की सं०	इकाई की सं० जिस पर कार्य शुरू हुआ	कार्य नहीं शुरू हुआ	पुराने अनुबंध के अनुसार प्राक्कलित राशि 15.38 लाख की दर से	नए अनुबंध के अनुसार प्राक्कलित राशि 18.84 लाख ⁶ की दर से	अंतर (7-6)
1	2	3	4	5(3-4)	6	7	8
1	अररिया	20	15	5	76.91	94.21	17.30
2	बेतिया	25	17	8	123.05	150.73	27.68
3	दरभंगा	25	11	14	215.34	263.77	48.43
4	ढाका	15	14	1	15.38	18.84	3.46
5	गोपालगंज	20	11	9	138.43	169.57	31.14
6	खगड़िया	15	13	2	30.76	37.68	6.92
7	मधुबनी	25	21	4	61.53	75.36	13.83
8	मोतिहारी	25	16	9	138.43	169.57	31.14
9	पूर्णिया	25	10	15	230.72	282.62	51.90
10	सहरसा	15	10	5	76.91	94.21	17.30
11	समस्तीपुर	25	25	0	0	0	0
12	शिवहर	20	10	10	153.81	188.41	34.60
13	सुपौल	15	10	5	76.91	94.21	17.30
	कुल	270	183	87	1,338.18	1,639.18	301.00 या 3.01 करोड़

⁶ दर खगड़िया प्रमंडल के स्वीकृत प्राक्कलन से लिया गया जो अनुबंध के विखंडित होने के बाद स्वीकृत हुआ।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.saiindia.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू0 आर0
कोड स्कैन करें



www.ag.bih.nic.in